



समाहरणालय, पटना।

(खनन शाखा)

पत्रांक 1060 / खनन, पटना।

फोन नं० :- 0612-2219545(O), 2219097(R)

दिनांक: 19 / 3 / 2024

फैक्स नं०:- 0612 - 2218900 (Fax)

ई-मेल :- dm-patna.bih@nic.in

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

Smt./Miss Poushali Banerjee,
Advocate, National Green Tribunal Eastern Zonal Bench, Kolkata
Narayani Tower, 28 old kabi Bharat Chandra road, Kolkata-700028,
Block A, Flat-B.

विषय:- O.A. No. 108/2024/PB, Suo Muto Matter: News item appearing in "Down to Earth" dated 22-12-2023 Title "Sand mining: 20 arrested, 40 big boats seized in Bihar Police operation on Sone River." के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली के द्वारा लिए गए संज्ञान का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग:- O.A. No. 108/2024 में अवर निबंधक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र एवं सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक-204, पटना, दिनांक-24.01.2024 एवं उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-05.02.2024 को पारित आदेश


गहाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि O.A. No. 108/2024 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-05.02.2024 को पारित आदेश में 'Down to Earth' में दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित खबर "Sand mining: 20 arrested, 40 big boats seized in Bihar Police operation on Sone River." मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा ली गई संज्ञान को National Green Tribunal Eastern Zonal Bench, Kolkata को स्थानान्तरित करते हुए दिनांक-22.03.2024 को सुनवाई हेतु मामला सूचीबद्ध किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में विषयांकित मामले के संदर्भ में अनुमोदित तथ्य विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करते हुए सुनवाई के दौरान अद्योहस्ताक्षरी के तरफ से पक्ष रखने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



जिला पदाधिकारी,
पटना।



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

O. A. NO. : 44 / 2024 / EZ

NEWS ITEM TITLED "SAND MINING: 20 ARRESTED 40 BIG

BOATS SEIZED IN BIHAR POLICE OPERATION ON SONE

RIVER" APPEARING IN WWW.DOWNTOEARTH.ORG

DATED 22.12.2023

-VERSUS-

The State of Bihar & Others

... RESPONDENTS

Statement of fact on behalf of District Magistrate, Patna

1. That the instant Original Application was initiated and registered Suo-Moto on the basis of news item titled "Sand Mining : "20 arrested 40 big boats seized in Bihar Police operation on Sone River" appearing in the downtoearth.org dated 22.12.2023 taking cognizance of the matter, a notice was issued by the National Green Tribunal, Principal Bench,



X

New Delhi on 20.01.2024 to the District Magistrate, Patna and Others with a direction to submit report on next date of hearing i.e. 05.02.2024.

2. That pursuant to the directions the District Magistrate, Patna requested the Senior Superintendent of Police to submit a report of the incident. The District Mining Office, Patna was also directed to submit the report. A meeting was organized on 29.01.2024 with the officer concerned along with Bihar State Pollution Control Board. Vide Letter No. 283 dated 27.01.2024, the District Mineral Development Officer, Patna submitted its report to the District Magistrate, Patna. Similarly a report from the Police Department was also submitted.

Photocopies of the Letter No. 283 dated 27.01.2024 and report dated 27.01.2024 are annexed as Annexure - A (Series).



X

3. That the Station House Officer of Bihta Police Station has also submitted a recommendation for confiscation of the seized boats in connection with Bihta P.S. Case No. 1272 of 2023 on 16.01.2024. The instant recommendation for initiation of confiscation proceeding of 50 big boats was given.

A Photocopy of the recommendation dated 16.01.2024 of Station House Officer of Bihta Police Station is annexed as Annexure – B.

4. That it is very relevant to submit that the Police Inspector, Rahul Kumar under the direction of the Superintendent of Police, Patna vide letter no. 1934 dated 06.11.2023 proceeded to raid on 21.12.2023 at 6.00 P.M. near Village – Pathloutia, Amnabad to check the illegal excavation of the sand. At around 13.30 hours near the Amnabad Sone Diara Area when the team reached, they found that around 40-50



X

boats along with 100-150 persons were engaged in illegal excavation of sand from the Sone river and after excavating it the same were being transported through boats. Seeing the police force the persons involved tried to run away but after cordoning it off by the police about 20 peoples on 40 boats were apprehended and taken into custody. Their names are mentioned in the First Information Report. After due procedure all the 40 boats were seized as they were involved in illegal excavation of sand from the Sone river after blocking the natural course of flow of the river at Amnabad Area. On such request of Rahul Kumar, a First Information Report was registered being Bihta P.S. Case No. 1272 of 2023 dated 22.12.2023, under sections 379, 411, 353, 120(B), 201 of the Indian Penal Code.

A Photocopy of the First Information Report of Bihta P.S. Case No. 1272 of 2023 dated 22.12.2023 along with



X

entire seizure list are annexed
as Annexure – C (Series).

5. That this incident was perhaps reported by the downtoearth.org on 22.12.2023 and the instant suo-moto proceeding was initiated by the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi and notices were issued.
6. That on the basis of the reports received from the concerned departments, the District Magistrate, Patna vide letter no. 341 dated 02.02.2024 has submitted a detailed report to the Additional Standing Counsel, Sri Azmat H. Amanullah to produce it before the Hon'ble Bench on the date of hearing on 05.02.2024.

A Photocopy of the letter no.
341 dated 02.02.2024 along
with letter no. 315 dated
31.01.2024 is annexed as
Annexure – D (Series).



X

7. That as it is relevant to state that the Sang Ghats of the Patna District was settled for the period 2015-19 and thereafter extended up till 30.09.2021. Thereafter the process for settlement of the sand ghats was again initiated but due to some litigations it could not be done.
8. That under the order of the Hon'ble Apex Court, the B.S.M.C.L. has engaged contractors for sand mining activity from time to time. In between times the sand mining was prohibited and on such occasions the illegal mining went on rampant. That to stop the illegal excavation, storage and transportation, the Collector, Patna vide memo no. 244 dated 27.01.2022 has issued an office order constituting raid teams in each Sub-Divisions. From perusal of the Clause 4 of the office order it may be evident that Special Institution to control the illegal excavation and transportation through boats was referred. It was also mentioned to specially supervise the Digha Bridge and



X

Koilwar Bridge areas along with Maner, Sherpur and Bihta area.

A Photocopy of the memo no. 244 dated 27.01.2022 is annexed as Annexure – E.

9. That similarly the Mineral Development Officer, Patna has requested vide letter no. 1430 dated 31.05.2022 to constantly vigil and supervise for illegal mining activity. Other requests on various dates was also issued vide letter no. 1161 dated 31.03.2023, letter no. 1968 dated 30.06.2023.

Photocopies of the letter no. 1430 dated 31.05.2022, letter no. 1161 dated 31.03.2023 and letter no. 1968 dated 30.06.2023 are annexed as Annexure – F (Series).



X

10. That in consonance with the aforesaid requests and directions, the District Respondent Officials were very much vigil on the spot at different areas and conducted regular raids to stop the illegal excavation, storage and transportation of sand. The tireless action taken by the respondent authorities may duly be seen from the chart prepared for 2022-23 up to March, 2023 wherein details of raid, First Information Reports, seizures, penalties (in Rs.) on sand, stone, metal, dust and earth. The aforesaid chart clearly indicates that the respondent authorities are very much conscious of the fact that illegal mining activity causing loss to the ex-chequer has to be stopped. Similarly, a tabular chart of 2023-24 up till 12.03.2024 is also prepared and submitted by the Mineral Development Officer, Patna.

Photocopies of the tabular chart of 2022-23 and 2023-24 (up to 12 March, 2024) are



X

annexed as Annexure – G
(Series).

11. That as stated in the earlier paragraph that pursuant to the direction of the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi with regard to O.A. No. 108 of 2024 to be heard on 05.02.2024, a report was submitted by the District Magistrate, Patna with a detailed report of the District Mining Office and Police Officials.
12. That the instant matter was heard on 05.02.2024 by the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi and considering the reports submitted, the Tribunal has impleaded the (i) Bihar State Pollution Control Board, (ii) District Magistrate, Patna and (iii) RO-MoEF and CC as a party respondent. Considering the substantial issue relating to compliance of environmental norms, the Hon'ble Tribunal further taking into account that the matter relates to Eastern Zonal Bench, therefore, the instant O.A. No. 108 of 2024 is transferred to Eastern Zonal Bench for further



~~X~~

appropriate action. Office was directed to transfer the original records of the O.A. No. 108 of 2024 to Eastern Zonal Bench, Kolkata to be listed on 22.03.2024.

13. That aforesaid development was informed by the counsel appearing on behalf of the answering deponent through e-mail dated 06.02.2024. In the said e-mail, it was informed that the matter has been transferred to the Eastern Zonal Bench, Kolkata to be taken up on 22.03.2024 and as District Magistrate, Patna has been impleaded as party respondent, therefore, the State of Bihar was directed to file its report within a period of three weeks.
14. That as the detailed report was submitted, therefore, the instant report consisting of letter no. 315 dated 31.01.2024, letter no. 444 dated 12.02.2024 and letter no. 718 dated 02.03.2024 submitted by the Mineral Development Officer, Patna is annexed herewith for producing it before the Eastern Zonal Bench, Kolkata.



X

Photocopies of the letter no. 315 dated 31.01.2024, letter no. 444 dated 12.02.2024 and letter no. 718 dated 02.03.2024 are annexed as Annexure – H (Series).

15. That in the light of the facts and circumstances, it is humbly submitted that the answering deponent and the District Mining Office, Patna are very much vigil on the illegal excavation, storage and transportation of sand in the district, for which they are leaving no stone unturned which may be further perused from the tabular form chart of last two years. In such circumstances the instant Original Application may be disposed of in the similar terms.



prepared in my office
Pankaj Kumar
Advocate

[Signature]
 13/3/24
 District Magistrate,
 Patna.

(X)

AFFIDAVIT

I, SARWESH KUMAR SAMBHAV aged about 45 years, Gender MALE
 Son/wife of LATE PARSHURAM LAL DAS
 Resident of Village/Mohalla NAWATH, LOHAT
 P.S. MADHURANI, District MADHURANI
 do hereby solemnly affirm and declare as follows :-

1. That I am MINERAL DEVELOPMENT OFFICER, PATNA of the petitioner. AFFIDAVIT and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi, and I, having fully understood the same, found that they are true and correct to the best of my personal knowledge.
3. That the Annexure are true /typed copy/copies of its/their originals.

S.K. Sambhav 108774
 Solemnly affirmed before me by S.K. Sambhav
 Who is identified by S.K. Sambhav 12/03/2024
 have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of the affidavit which has been read over & explained to him which he acknowledges to be correct.
(Sarwesh Kumar Sambhav)

Identified by the deponent
Indrajit Kumar Akto
Zaki Haidar (Advocate)
R. N 2372/2024
20.3.2024


Advocate Oath Commissioner
 PATNA HIGH COURT
 Enroll. No. - BR/158/19






भारत सरकार
Government of India


सर्वेश कुमार सभभव
Sarvesh Kumar Sambhav
जन्म तिथि: DOB: 01-01-1979
पुरुष / Male



8146 7629 7471


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: S/O परशुराम लाल दास,
नवाहथ, लोहा मधुसानी, बिहार,
847231

Address: S/O Parshuram Lal Das
Nawath, Lohal Madhusani, Bihar
847231

8146 7629 7471





भारत - आम आदमी का अधिकार


20/03/2024
 (Sarvesh Kumar Sambhav)



13



जिला खनन कार्यालय, पटना

(कमरा नं०-13, 14 एवं 15, पूर्ववर्ती संरक्षित, वीरवार पटना-800 001)

पत्रांक:- 283 / एम.

पटना, दिनांक:- 27.1.24

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

विषय:- O.A. No. 108/2024/PB, Suo Muto Matter: News item appearing in "Down to Earth" dated 22.12.2023 Title "Sand mining: 20 arrested, 40 big boats seized in Bihar Police operation on Soane River." के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली के द्वारा लिए गए संज्ञान का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग:- सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वट के पत्रांक-204, पटना, दिनांक-24.01.2024 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, पटना के ज्ञापांक-1131/गो. पटना, दिनांक-24.01.2024 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में सादर पूर्वक कहना है कि 'Down to Earth' में दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित खबर "बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, 40 बड़े नाव जप्त" की खबर के आलोक में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा ली गई संज्ञान के अनुपालनार्थ मामले में सुनवाई हेतु दिनांक-05.02.2024 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फरिदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में सूचीबद्ध है, से संबंधित प्रतिवेदन निम्नलिखित है:-

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उक्त मामले से संबंधित परि0पु0नि0 श्री राहुल कुमार, बिहटा थाना, जिला-पटना द्वारा बहटा थानान्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या-5117008231272, दिनांक-22.12.2023 में उल्लेखित है कि "नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, पटना के आदेश ज्ञापांक-1934(ए)/गो, दिनांक-06.11.2023 के आलोक में दिनांक-21.12.2023 प्रातः 06:00 बजे ग्राम अमनाबाद, पथलौटिया गांव में अवैध बालू खनन के विरुद्ध छापेमारी में सी0एम0पी0 सशस्त्र बल एवं चौकिदार के साथ प्रस्थान किया गया। समय लगभग 11:30 बजे ग्राम-पथलौटिया अमनाबाद सोन दियारा इलाके के बकास क्षेत्र पहुंचे तो देखे कि करीब 40-50 नाव के साथ करीब 100-150 व्यक्ति बालू माफिया से मिलकर सोन नदी से अवैध बालू का खनन कर नाव से ले जा रहे थे। जिसकी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को दिया गया।

सूचना पर थानाध्यक्ष महोदय परि0पु0अ0नि0 नितीश कुमार, परि0पु0अ0नि0 प्रवीण कुमार, रा0अ0नि0 जय कुमार प्रसाद, स0अ0नि0 अर्जुन सिंह एवं सशस्त्र बल के सिपाही के साथ करीब 14:45 बजे पहुंचे। थानाध्यक्ष महोदय के सूचना पर सीमावर्ती थाने से भी पुलिस पदाधिकारी एवं बल आ गये उपरोक्त छापेमारी बल के सहयोग से पथलौटिया अमनाबाद सोन दियारा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बालू खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों को घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम से सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कुल 40 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़ाये सभी नाव पर सवार कुल 20 व्यक्तियों को उतारकर पुलिस अगिरक्षा में लेकर नाम एवं पता का पृच्छा किया गया।

तत्पश्चात् पकड़ाये गये लोग एवं नावों को विधिवत् जप्ती करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जाने लगा तो इस कार्रवाई को देखकर सोन नदी में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के द्वारा आपस में वर्धरव एवं पुलिस की कार्रवाई में व्यवधान एवं साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए सोन नदी के मुख्य धारा में लगे नाव में आग लगा दिये, ताकि सोन नदी के मुख्य धारा का रास्ता अवरुद्ध हो जाय। काफी मशकत एवं प्रयास के बाद बालू माफिया के द्वारा नाव में लगाए गए आग पर स्थानीय लोगों एवं पुलिस बल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया एवं सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त पकड़ाये गये लोहे की बनी कुल 40 बड़ी नावों जिसपर सोन नदी से अवैध बालू खनन कर लोड किया गया है, को चेक किया गया

10

10

तो कुदाल एवं बाल्टी पाया गया। तत्पश्चात् उक्त 40 नावों एवं उसपर रखे कुल 25 कुदाल तथा 20 बाल्टी को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया।

➤ जप्त सभी 40 नावों में से लगभग 10 नावे जली हुई अवस्था में है। जप्त की गई नावों को लाने का हरसमय प्रयास किया गया लेकिन पश्लौटिया अमनाबाद के बकारा एरिया में फंस जाने के कारण वहा से नहीं लाया जा सका, बाव नावों को घटनास्थल के पास ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। पकड़ाये गये सभी 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया।"

➤ साथ ही उक्त दर्ज प्राथमिकी में यह भी उल्लेखित है कि गिरफ्तार 20 व्यक्तियों एवं जप्त 40 नाव मालिकों तथा अज्ञात 40-50 लोगों के विरुद्ध परि०पु०नि० श्री राहुल कुमार, बिहटा थाना, जिला-पटना द्वारा बिहटा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसका काण्ड संख्या-5117008231272, दिनांक-22.12.2023 है (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न)।

➤ अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दिनांक- 01.04.2023 से दिनांक-31.12.2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	01 अप्रैल 2023 से 30 दिसम्बर 2023 तक	418	236	75	921	1118.88

➤ जिला खनन कार्यालय, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह- अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक	587	134	142	1377	1643.66

➤ पटना जिला के बिहटा थानान्तर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक	70	32	39	283	311.62

➤ पटना जिला के बिहटा थानान्तर्गत अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-


क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	वसूली (लाख रू० में)
1	अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक	51	46	47	247	111.47

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अनिज
विकास पदाधिकारी,
पटना।

अ.उ. संख्या - 26 (नियम 143)

(LL.E-I)/LL.E-I अनुसूची 47(ख) प्रथम संख्या
-118**FIRST INFORMATION REPORT**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(के तहत धारा 154 Cr.P.C.)

District
(जिला) पटनाPolice Station
(पुलिस स्टेशन) बिहटा थानाYear
(साल) 2023FIR No.
(एफआईआर
नंबर) 5117008231272Date
(दिनांक) 22/12/20232 (i) Act भा दं सं 1860
(अधिनियम)Sections 379,411,353,201,220-B
(धारा)3 (a) Occurrence of offence:
(अपराध की घटना:)Day: गुरुवार
(दिन)Date from
(तारीख से)Date to 21/12/2023
(तारीख तक)Time Period
(समय सीमा)Time from
(समय से)Time to 14:45
(समय तक)(b) Information received at PS: Date 22/12/2023
(b) (पुलिस स्टेशन पर सूचना प्राप्त
हुई: (दिनांक)Time 04:30
(समय)

(c) General Diary 1421/22122023

(e) Reference: Entry No.
(सामान्य डायरी संदर्भ: प्रविष्टि
सं।)Time 04:30
(समय)4 Type of लिखित
Information: (सूचना
का प्रकार :)5 Place of Occurrence:
(घटना का स्थान:)(a) Direction and distance from P.S. पश्चिम 7.00 Beat No. 2
(b) (पुलिस स्टेशन से दूरी और दिशा) किलोमीटर (बीट नं.)(b) Address पथसीटिया अमनाबाद सोन दिपरा इलाके के बकास क्षेत्र में
(b) (पता) पथसीटिया-अमनाबाद



बिहटा थाना, पटना
बिहार, भारत

- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(अगर इस पुलिस स्टेशन की सीमा के बाहर का मानले है तब)

Name of P.S.
(पुलिस स्टेशन का नाम)

District
(जिला)

6 Complainant/Informant:
(शिकायतकर्ता / सूचक :)

(a) Name राहुल कुमार (b) Father's/Husband's Name
(नाम) (b) (पिता / पति का नाम)

(c) Date/Year of Birth: (d) Nationality भारतीय
(जन्म की तारीख / (d) (राष्ट्रीयता)
दर्ज)

(e) UID No.
(e) (यु आईडी सं.)

(f) Passport No. Date of Issue XXXXXXXXXXXXXXXX Place of Issue XXXXXXXXXXXXXXXX
(f) (पासपोर्ट संख्या) (जारी करने की तारीख) (जारी करने का स्थान)

Id Details(Passport,Driving License,Ration Card,Arms License,Voter Card,Income Tax (PAN) Card,Any Other,AADHAR CARD(UIDAI),Photo Proof)
आईडी विवरण(पासपोर्ट,वाहन अनुमति,राशन कार्ड,बास्त अनुमति,मतदाता कार्ड,आयकर (पैन कार्ड),कोई अन्य,आधार कार्ड (भा वि प प्रा),फोटो प्रमाण)

(g) Not Available. XXXXXXXXXXXXXXXX Date of Issue XXXXXXXXXXXXXXXX Place of Issue XXXXXXXXXXXXXXXX
(g) (उपलब्ध नहीं है) (जारी करने की तारीख) (जारी करने का स्थान)

(h) Present Address बिहटा थाना, पदस्थापित, परिस 00-010 नि०, बिहटा थाना, पटना, बिहार, भारत
(h) (वर्तमान पता) Permanent Address (स्थायी पता) बिहटा थाना, पदस्थापित, परिस 00-010 नि०, बिहटा थाना, पटना, बिहार, भारत

(i) Occupation पुलिस अधिकारी
(i) (व्यवसाय)

(j) Phone number Mobile
(j) (दूरभाष सं.): (मोबाइल सं.):

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars:
(Attach separate sheet, if necessary)

(पूर्ण विवरण के साथ ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात आरोपी का विवरण।)
(यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)

Accused Name (आरोपी का नाम)	Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम)	Age(Approx.) (उम्र) (लगभग)	Address (पता)
(1) <u>सुजीत कुमार</u>	कृष्णचंद्र राय		खुसावरपुर करारी खुसावरपुर करारी खुडासनपुर थाना, वैशाली बिहार, भारत
(2) <u>उपेन्द्र राय</u>	स्व० मोवालाल राय		पानापुर पानापुर अकिलपुर थाना, सारण बिहार, भारत
(3) <u>पंकज कुमार</u>	टिमल राय		पुसनीपानापुर पुसनीपानापुर अकिलपुर थाना, सारण बिहार, भारत
(4) <u>संजय कुमार</u>	रामअवतार दास		सोभनपुर दिवरा सोभनपुर दिवरा साहिबगंज नगर, साहेब गंज सारखंड, भारत
(5) <u>सत्येन्द्र कुमार</u>	रामजी राय		पुसनीपानापुर पुसनीपानापुर अकिलपुर थाना, सारण बिहार, भारत
(6) <u>लाल पासवान</u>	हरवीशु पासवान		जफराबाद जफराबाद राधेपुर थाना, वैशाली बिहार, भारत
(7) <u>हिरामन सहनी</u>	स्व० जामुन सहनी		चक्रदरिया चक्रदरिया सोनपुर थाना, सारण बिहार, भारत
(8) <u>इन्द्रधनु कुमार</u>	विजय राय		माईल माईल खुडासनपुर थाना, वैशाली बिहार, भारत
(9) <u>शत्रुघ्न कुमार मंडल</u>	श्री जनार्दन मंडल		गंगानपुर पोलवारा गंगानपुर पोलवारा रतवाला थाना, मधेपुरा बिहार, भारत
(10) <u>सुखानारायण सहनी</u>	देवन सहनी		धिरमनपुर झौरी धिरमनपुर झौरी

(11) <u>अरविन्द राय</u>	बहादुर राय	कलवाणपुर थाना साँढीपुर बिहार, भारत सबलपुर पश्चिमी टोला सबलपुर पश्चिमी टोला सोनपुर थाना, सारण बिहार, भारत
(12) <u>निरज कुमार</u>	वैशरथ महतो	साँढीपुर साँढीपुर मदौरा थाना, सारण बिहार, भारत
(13) <u>संजीत राय</u>	सद्वैश्वर राय	माईल माईल बिहुपुर थाना, वैशाली बिहार, भारत
(14) <u>संजीत कुमार</u>	फुटारी मंडल	बिनौवा टोला थाना इल्हाइलपुर बिनौवा टोला ट्रैफिक थाना, भागलपुर बिहार, भारत
(15) <u>पंकज कुमार</u>	दिनेश राय	नयापुर कस्बे टोला सबलपुर पश्चिमी टोला सोनपुर थाना, सारण बिहार, भारत
(16) <u>कारेलात कुमार</u>	गुलिस मंडल	खैरपुर थाना, खरिकवाजार खैरपुर जंभाईशपुर थाना, भारतपुर बिहार, भारत
(17) <u>कामेश्वर राय</u>	सुभा हजारी राय	हल्दी छपरा हल्दी छपरा मनिर थाना, पटना बिहार, भारत
(18) <u>श्री बाबू के माणिक</u>		अंकित नहीं अंकित नहीं बिहुपुर थाना, सारण बिहार, भारत
(19) <u>उपेन्द्र कुमार</u>	राजेन्द्र राय	सैदपुर सैदपुर सोनपुर थाना, सारण बिहार, भारत
(20) <u>विपिन कुमार</u>	जवाहर मंडल	जवाहर मंडल थाना जवाहर मंडल नयाटोला मिससक जवाहरपुर थाना,

- (21) 50 अज्ञात व्यक्ति
- (22) धर्मेन्द्र पासवान विशेश्वर पासवान
- 8 Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचक द्वारा रिपोर्टिंग में देरी के कारण)
- 9 Particulars of properties stolen (Attach separate sheet, if necessary) (चुराई गई संपत्तियों का विवरण (अलग शीट संलग्न करें, यदि जरूरी हो तो))
- 10 Total value of property stolen (चुराई गई संपत्ति का कुल मूल्य)
- 11 Inquest Report/U.D. case No. if any (पूछताछ रिपोर्ट / यू.डी. केस नं. यदि कोई हो)
- 12 First information contents (Attach separate sheet, if required) (पहली सूचना सामग्री (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें))

भागलपुर,
बिहार, भारत
अंकित नहीं
अंकित नहीं
बिहटा थाना, पटना
बिहार, भारत
रोधीपोखर
रोधीपोखर
सालगंज थाना, वैशाली
बिहार, भारत

Complainant (शिकायत)

सेवा में,
थानाध्यक्ष महोदय,
बिहटा थाना, पटना।
महोदय,
निवेदनपूर्वक सादर सूचित करना है कि मैं परि०पु०अ०नि० राहुल कुमार वर्तमान में बिहटा थाना में परतबधित हूँ। गण सूचक
अधीक्षक महोदय पटना का आदेश, संपाक- 1934 (ए) / मो० दिनांक-06.11.23 के अंतर्गत में आज दिनांक 07.11.23 को
प्रातः 06.00 बजे ग्राम अमदाबाद, पथलीटिया गांव में अविध बालू के खनन के विरुद्ध छापेमारी में सी०ए०ए०पी० सामग्री बल एवं
चौकीदार के साथ थाना से प्रस्थान किये थे। समग्र करीब 13.30 बजे ग्राम पथलीटिया अमनाबाद सोन दियरा इलाके के बकास
क्षेत्र पहुंचे तो देखे कि करीब 40-50 नाव के साथ करीब 100-150 व्यक्ति बालू माफिया से मिलकर सोन नदी से अविध बालू का
खनन कर नाव से ले जा रहे थे। जिसकी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को दिया। सूचना पर थानाध्यक्ष महोदय परि०पु०अ०नि०
निरीश कुमार, परि०पु०अ०नि० प्रदीप कुमार, स०अ०नि० जय कुमार प्रसाद, स०अ०नि० अर्जुन सिंह एवं सहायक बल के
सिपाही-1316, राजेश कुमार, सिपाही-1382, राज कुमार पासवान, सिपाही-1247, धीरज कुमार पासवान, सिपाही-1200, राजन
कुमार, सिपाही-7933, अमन कुमार, सिपाही-6252, रविवरन कुमार एवं गृहसंरक्षक बल के साथ समय करीब 14.45 बजे पहुंच
गये। थानाध्यक्ष महोदय के सूचना पर सीमावर्ती थाने से भी पुलिस प्रदाधिकारी एवं बल आ गये। उपरोक्त छापेमारी दल के
सहयोग से पथलीटिया अमनाबाद सोन दियरा इलाके के बकास क्षेत्र में अविध बालू खनन कर डंडी नावों पर बालू लोड कर
परिवहन कर रहे लोरी भी बेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम से सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारी तरफ से घेरेबंदी
करती हुए अक्षर बल के सहयोग से कुल 40 बड़ी नावों पर अविध रूप से सोन नदी की बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर
रहे 20 लोरी को पकड़ लिया गया। पकड़ाये सभी 40 नावों पर साबर कुल 20 व्यक्तियों की उत्तरकर पुलिस अधिक्षा में लेकर
नाम पता पृष्ठने पर अपना-अपना नाम कमरा: 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा० सुमकरपुर करारी थाना
पुराभलपुर जिला वैशाली, मो०- 9162541070, 2 संजीव कुमार उम्र 21 वर्ष पिता सुदीप राय, सा० किरासा थाना, सा०
दुसमभलपुर जिला भागलपुर, मो०नं०-7783878506, 3. करिंथल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व० सुदेश कुमार सा० करपुर जिला
खरिफ वाजार जिला भागलपुर, मो०-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर प्रसाद सा० नयाटोडा भिराठक
थाना जीरोमईत, भागलपुर, मो०नं०-8102372926, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महता सा० रोहिमपुर थाना
मठौरा जिला छपरा, मो०नं०-8084673411, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जनादिन मंडल, सा० गंगाधर पोहोर्वा



टोला, थाना किशनपुर रतवाड़ा, जिला मधेपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा० सोभनपुर दिवरा साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), मो०-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व० जामुन सहनी, सा० चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा० सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 33 वर्ष पिता स्व० हजारी राय सा० हरदी कपरा बहर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा० विरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला सारन, मो०-9060256085, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता दिमल राय, सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला कपरा, 14. लालू पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा० जफराबाद टुक, थाना राधोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व० मैकलाल राय सा० पात्रापुर थाना अकिलपुर, जिला कपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला कपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला कपरा, 18. हुनदुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. राजेन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला कपरा, 20. धर्मेश पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व० विशेश्वर पासवान सा० रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली बताये। पकड़ाये गये लोग एवं नावों को विधिवत जली करने के लिए पुलिस द्वारा दारा कार्रवाई किये जाने लगा तो इस कार्रवाई को देखकर सोन नदी में अविद्यमान खनन कर रहे माफिया के द्वारा आपस में बर्बर एवं पुलिस की कार्रवाई में व्यथान एवं साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए सोन नदी के मुख्य धारा में लगे नावों में आग लगा दिये, ताकि सोन नदी के मुख्य धारा का रास्ता अवरुद्ध हो जाय। काफी मशकत एवं प्रयास के बाद बालू माफिया के द्वारा नाव में लगाये गये आग पर स्थानीय लोगों एवं पुलिस बल के सहयोग से आग पर काबू पया गया एवं सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त पकड़ाये लोहे की बनी कुल 40 बड़ी नावों जिस पर सोन नदी से अवैध बालू खनन कर लोड किया गया है, को चेक किया गया तो तो कुदाल एवं बाल्टी पाया गया। तत्पश्चात् दो सिपाही-4916, राजेश कुमार एवं सिपाही-1182, राज कुमार पासवान के समक्ष 40 नावों एवं उस पर रखे कुल 25 कुदाल तथा 20 बाल्टी को विधिवत जली वनाकर फाल किया। जशी सूची पर दोनो साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिये। जप्त सभी 40 बड़ी नावों में से करीब 10 नावें जली हुई अवस्था में है। जप्त किये गये नावों को लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया लेकिन पथलौटिय अमनाबाद के बकास एरिया में फंस जाने के कारण वह से नहीं लाया जा सका, तब नावों को घटनास्थल के पास ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। पकड़ाये गये सभी लोगों से जप्त किये गये नाव के मासिक का नाम पता पूछकर कागजात का मांग किया गया तो बताया गया कि इनलोगों को नाव मालिकों का नाम पता की जानकारी नहीं है, लेकिन नाव मालिकों के कहने पर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों के द्वारा सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परबतून गये हैं वे पकड़ाये सभी 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर जमाना लागू करा। अतः श्रमदान से अनुरोध है कि सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर ले जा रहे गिरफ्तार 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा० चुरावरपुर करारी थाना चुरामनपुर जिला वैशाली, मो०-9162561070, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुटारी मंडल सा० जिनीवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, मो०-7783878506, 3. करीमाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व० पुलिस मंडल सा० खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, मो०-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा० नयाटोला मिश्रक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, मो०-8102372926, 5. निरख कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा० पश्चिमपुर थाना महौरा जिला कपरा, मो०-8084673412, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जगतन मंडल सा० पानापुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवाड़ा, जिला मधेपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा० सोभनपुर दिवरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), मो०-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व० जामुन सहनी, सा० चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा० सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 33 वर्ष पिता स्व० हजारी राय सा० हरदी कपरा बहर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा० विरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला सारन, मो०-9060256085, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता दिमल राय, सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला कपरा, 14. लालू पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा० जफराबाद टुक, थाना राधोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व० मैकलाल राय सा० पात्रापुर थाना अकिलपुर, जिला कपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला कपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला कपरा, 18. हुनदुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. राजेन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला कपरा, 20. धर्मेश पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व० विशेश्वर पासवान सा० रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली एवं जप्त 40 नावों के मासिक तथा अज्ञात 40-50 नावों के मासिक के मांग किया जाये।

ह०-राहुल कुमार
परि०पु०आ०नि०

बिहटा थाना, पटना।

Action Taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2:

(कार्रवाई की गई: चूंकि उपरोक्त जानकारी अपराध n / s जैसा कि आइटम नंबर 2 में उल्लिखित है कर्मस्थान का खुलासा करती है।)

13 (2) Directed (Name of I.O.) निर्देशित (I.O का नाम) :- मुखेश कुमार भारती Rank(रैंक):- उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक
No.- mun081295 to take up the investigation जांच करने के लिए

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचक द्वारा एफ आई आर पढ़ा गया बताया गया की सही ढंग से दर्ज है और शिकायतकर्ता सूचक को एक प्रति मुफ्त में दी जानी है।)

R.O.A.C.
(R.O.A.C.)
राजू कुमार
22/12/23
150379
बिहटा थाना, पटना

Signature of Officer in charge, Police Station
(थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

Signature/Thumb Impression of the complainant/informant.
(शिकायतकर्ता / सूचक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान।)

Name राजू कुमार
(नाम)

Rank उपनिरीक्षक/ कर्मांक 150379
(रैंक) अवर निरीक्षक

15 Date and time of dispatch to the court. 22/12/2023 04:30
(कोर्ट में प्रेषण की तारीख और समय।)

जिला खनन कार्यालय, पटना

अवैध उत्खनन से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक का प्रगतिशील प्रतिवेदन

क्रं.	मह. का मस.	छापेनारी/ जॉय की स०	नम्बरिंगकी	गिरफ्तारी	जमी		घसूली (लाख रु. में)			खनिज						अभ्युक्ति
					स०	वाहन का प्रकार	कोट की आदेश ल जमा राशि	वमस	कुल	वालू (घनफीट में)	पत्थर (घनफीट में)	स्टोन चिप्स (घनफीट में)	मटल (घनफीट में)	स्टोन डस्ट (घनफीट में)	निट्टी (घनफीट में)	
1	अप्रैल-2023	49	17	50	96	61-ट्रेक्टर 27-ट्रक/ हाईवा 08-पोकलेन/ जं०सी०बी० लोडर	26.75	96.89	123.64	26085	0	0	0	0	685	
2	मई-2023	63	20	15	171	137-ट्रेक्टर 34-ट्रक/ हाईवा	57.57	114.25	171.82	45335	0	900	0	450	100	
3	जून-2023	42	22	1	102	61-ट्रेक्टर 39-ट्रक/ हाईवा 2-लोडर/ पोकलेन	73.40	52.45	125.85	32270	12200	0	0	0	570	
4	जुलाई-2023	38	30	0	85	40-ट्रेक्टर 43-ट्रक/ हाईवा 2-पोकलेन	115.43	20.43	135.86	565355	0	0	0	0	2285	
5	अगस्त 2023	48	30	0	80	47-ट्रेक्टर 33-ट्रक/ हाईवा/टीपर	54.02	39.32	93.34	17285	9950	0	0	1330	130	
6	सितम्बर-2023	52	24	0	80	47-ट्रेक्टर 32-ट्रक/ हाईवा/टीपर 1-पोकलेन	55.97	67.19	123.16	13890	13750	0	0	0	600	
7	अक्टूबर-2023	40	19	8	60	27-ट्रेक्टर 32-ट्रक/ हाईवा 1-लोडर	66.57	73.37	139.94	12935	11100	0	0	0	1980	

क्र.	माह का नाम	छायांक/ जाँच की ल0	प्रारम्भिकी	गिरफ्तारी	जल्दी		क्यूली (लाख रु. में)			खनिज						अभ्युक्ति
					सं0	वाहन का प्रकार	कोर्ट के आदेश से जमा राशि	दण्ड	कुल	धातू (घनफीट में)	सूक्ष्म (घनफीट में)	स्टोन सिप (घनफीट में)	मेटल (घनफीट में)	स्टोन डस्ट (घनफीट में)	मिट्टी (घनफीट में)	
8	नवम्बर-2023	36	23	0	89	81-ट्रैक्टर 7-ट्रक / हाईवा 1-जे0सी0वी0	71.59	18.82	90.41	16995	600	0	0	0	0	
9	दिसम्बर-2023	80	51	1	158	124-ट्रैक्टर 32-ट्रक / हाईवा 2-पोकलेन / जे0सी0वी0	66.44	48.42	114.86	33010	5650	0	0	0	2980	
10	जनवरी-2024															
11	फरवरी-2024															
12	मार्च-2024															
कुल		448	236	75	921	625-ट्रैक्टर 279-ट्रक / हाईवा 17-पोकलेन / जे0सी0वी0 लोडर	587.74	531.14	1118.88	763160	53250	900	0	1780	9330	


 सुनिज विकास प्रशासक
 पटना।

3

जापांक 256 / 2024

ANNEXURE - B

489

बिहटा थाना, दिनांक 16.01.24/2024

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,
पटना।



उचित माध्यम

बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.23, धारा-379/411/353/120(बी)/201
भा0द0वि0

बिषय:- कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव विहित प्रपत्र में अग्रतर कार्रवाई एवं भवदीय के अवलोकनार्थ संलग्नकर भेजी जा रही है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नक-यथोपरि,

विश्वासभाजन
मुगेश कुमार शर्मा
16.01.24
जा.सं. 379 दि. 0
बिहटा थाना, पटना।

20/1/24

FORWARDED
S.D.R.O., Danapur

R-258/CR
25/1/24



जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव ।

- 1 प्रस्तावक(थाना/उत्पाद) :- नाम:- मुनेश कुमार भारती
पदनाम- पु0अ0नि0बिहटा थाना
- 2 बिहटा थाना कांड संख्या :- बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-21.12.23.
धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा0द0वि0
- 3 छापामारी की तिथि :- 21.12.23
- 4 छापामारी स्थल:- सा0 अमनाबाद पथलौटिया सोन नदी दियरा बकास क्षेत्र थाना-बिहटा जिला-पटना,

5 छापामारी में जप्त सामग्री का विवरण :-

क्रम	जप्त सामान	विवरण	मालिका का नाम एवं पता
01	50 बड़ी नाव	50 बड़ी नाव में से 20 नाव जली अवस्था पाया गया जिसमें पतवार और इंजन लगा हुआ है। जिसपर पर सोन नदी का बालु लदा हुआ है।	नाम पता सत्यापन नहीं हुआ। नाव पर कोई राजि० न० अंकित नहीं है। जिसके नाम पता का सत्यापन नहीं हो सका।

6 गिरफ्तारी का विवरण :-

क्रम	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं उम्र	पता
1	सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष	पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली
2	संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष	पिता फूटारी मंडल सा0 बिनौवा टोला थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर
3	कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर
4	विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर
5	निरज कुमार उम्र 30 वर्ष	पिता दशरथ महतो सा0 राहिमपुर थाना मढ़ौरा जिला छपरा
6	राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष	पिता श्री जर्नादन मंडल, सा0 गंगापुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा,
7	संजय कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता रामवतार दास सा0 सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड)
8	हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष	पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण,
9	उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण
10	संजीत राय उम्र 25 वर्ष	पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदूपुर जिला वैशाली
11	कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष	पिता स्व0 हजारी राय सा0 हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना
12	सत्य नारायण सहनी	पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर
13	पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता टिमल राय, सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
14	लालु पासवान उम्र 25 वर्ष	पिता हरवंशु पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली,
15	उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष	पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा
16	पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
17	अरबिन्द राय उम्र 35 वर्ष	पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
18	टुनटुन कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदूपुर जिला वैशाली,
19	सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष	पिता रामजी राय सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
20	धर्मन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष	पिता स्व0 विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाल

18/12/24

7 जप्त सामग्री के स्थल का पता :-सा0 अमनाबाद पथलौटिया सोन नदी दियरा बकास क्षेत्र
थाना-बिहटा जिला-पटना,

08अधिनियम की धारा :- 56, 57 एवं 58 के तहत अधिहरित किए जाने का कारण व आधा
:-धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी के 20 नामजद अभियुक्तों ए
जप्त 50 नाव मालिकों के विरुद्ध सोन नदी में से अवैध रूप से बालू खनन कर चोरी करने के आरो
आयात निर्यात परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूपेण अवैध है ।

09 प्रस्तावक पदाधिकारी का मंतव्य-

दिनांक-21.12.23 को थानाध्यक्ष महोदय द्वारा बिहटा थाना अन्तर्गत पुलिस पदाधिकारी एवं उपरोक्त
छापामारी दल के सहयोग से पथलौटिया अमनाबाद सोन नदी दियरा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बा
खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों की घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम स
सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कु
50 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों क
पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 50 बड़ी नावों पर बालू लदा
जो सोन नदी में जप्त किया गया है। जप्त नाव को थाना पर नहीं लाया जा सकता है। उसकी सुरक्षा म
20 सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त किया गया है। नदी में पानी बढ़ जाने से जप्त नाव डूब भी सकता है कु
नाव नदी में डूबा हुआ भी है। ऐसे में अधिहरण,नीलामी कर देना ही आवश्यक प्रतित होता है ।

अतः जप्त नावों का अधिहरण प्रस्ताव का आदेश देने की कृपा की जाय।

मुनेश कुमार भारती
16.01.24
प्रस्तावक पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

10 वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला खनन पदाधिकारी की अनुशंसा :-

वरीय पुलिस अधीक्षक/ जिला खनन पदाधिकारी,
का हस्ताक्षर

तिथि :- 16.01.24

अनुलग्नक :-

1. प्राथमिकी की प्रति ।
2. जप्ती सूची।

16/01/24

सेवा में,

थानाध्यक्ष महोदय,
बिहटा थाना, पटना।

महाशय,

निवेदनपूर्वक सादर सूचित करना है कि मे परि०पु०अ०नि० राहुल कुमार वर्तमान में बिहटा थाना में पदस्थापित हूँ। नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पटना का आदेश जापाक- 1934(ए)/ना० दिनांक-06.11.23 के आलोक में आज दिनांक-21.12.23 को प्रातः 06.00 बजे ग्राम-अमदाबाद, पथलौटिया गांव में अवैध बालू के खनन के विरुद्ध छाप्रमारी में बी०एम०पी० सशस्त्र बल एवं चौकीदार के साथ थाना से प्रस्थान किये थे। समय करीब 13.30 बजे ग्राम- पथलौटिया अमनाबाद सोन दियरा इलाके के बकास क्षेत्र पहुंचे तो देखे कि करीब 40-50 नावों के साथ करीब 100-150 व्यक्ति बालू माफिया से मिलकर सोन नदी से अवैध बालू का खनन कर नाव से ले जा रहे थे। जिसकी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को दिया। सूचना पर थानाध्यक्ष महोदय परि०पु०अ०नि० नितीश कुमार, परि०पु०अ०नि० प्रवीण कुमार, स०अ०नि० जय कुमार प्रसाद, स०अ०नि० अर्जुन सिंह एवं सशस्त्र बल के सिपाही-4916, राजेश कुमार, सिपाही-1382, राज कुमार पासवान, सिपाही-1247, धीरज कुमार पासवान, सिपाही-8206, रंजन कुमार, सिपाही-7933, अमन कुमार, सिपाही-6258, रविरंजन कुमार एवं गृहसंरक्षक बल के साथ समय करीब 14.45 बजे पहुंच गये। थानाध्यक्ष महोदय के सूचना पर सीमावर्ती थाने से भी पुलिस पदाधिकारी एवं बल आ गये। उपरोक्त छाप्रमारी दल के सहयोग से पथलौटिया अमनाबाद सोन दियरा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बालू खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों की घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम से सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कुल 40 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़ाये सभी 40 नावों पर सवार कुल 20 कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा० जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, मो०-9162561070, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुटारी मंडल सा० बिनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, मो०नं०-7783878506, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व० पुलिस मंडल सा० खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, मो०-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा० नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, मो०नं०-8102372926, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा० राहिमपुर थाना मढ़ौरा जिला छपरा, मो०नं०-8084673411, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जर्नादन मंडल, सा० गंगापुर पोलवासा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा० सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), मो०-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व० जामुन सहनी, सा० चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा० सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्द्रेश्वर राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व० हजारी राय सा० हल्दी छपरा बंदर टोला थाना मक्कर जिला पटना, मो०-7205837161, 12. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता टिमल राय, सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा० जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व० मेवालाल राय सा० पानापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरबिन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 18. टुनटुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व० विशेश्वर पासवान सा० रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली बताये। पकड़ाये गये लोग एवं नावों को बिधिवत जप्ती करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई किये जाने लगा तो इस कार्रवाई को देखकर सोन नदी में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के द्वारा आपस में

358/120100/2023 P.P., P.S. Ramnagar & Bhojpur P.P. with minor details
 21/12/23
 15/12/23

25/12/23
 21/12/23
 परि०पु०अ०नि०

बर्चस्व एवं पुलिस की कार्रवाई में व्यवधान एवं साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए सोन नदी के मुख्य धारा में लगे नावों में आग लगा दिये, ताकि सोन नदी के मुख्य धारा का रास्ता अवरुद्ध हो जाय। काफी मशकत एवं प्रयास के बाद बालू माफिया के द्वारा नावों में लगाये गये आग पर स्थानीय लोगो एवं पुलिस बल के सहयोग से आग पर काबु पाया गया एवं सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त पकड़ाये लोहे की बनी कुल 40 बड़ी नावों जिस पर सोन नदी से अवैध बालू खनन कर लोड किया गया है, को चेक किया गया तो तो कुदाल एवं बाल्टी प्राया गया। तत्पश्चात् दो सिपाही-4916 राजेश कुमार एवं सिपाही-1382, राज कुमार पासवान के समक्ष 40 नावों एवं उस पर रखे कुल-25 कुदाल तथा 20 बाल्टी को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। जप्ती सूची पर दोनों साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिये। जप्त सभी 40 बड़ी नावों में से करीब 10 नावें जली हुई अवस्था में हैं। जप्त किये गये नावों को लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया लेकिन पथलोठिय अमनाबाद के बकास सुरिया से फंस जाने के कारण वह से नहीं लाया जा सका, तब नावों को घटनास्थल के पास ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। पकड़ाये गये सभी लोगो से जप्त किये गये साक्ष्य के मालिक का नाम पता पुष्टकर कागजात का मार्ग किया गया तो बताया गया कि इनलोगो को नाव मालिको का नाम पता की जानकारी नहीं है, लेकिन नाव मालिको के कहने पर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधनों के द्वारा सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर रहे थे। पकड़ाये सभी 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर धाना लाया गया।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर ले जा रहे गिरफ्तार 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुशवरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, मो0-9162561070, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुडारी मंडल सा0 विनोवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, मो0नं0-7783878506, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, मो0-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, मो0नं0-8102372926, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ सहतो सा0 राहिमपुर थाना मढौरा जिला छपरा, मो0नं0-8084673411, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जर्नादन मंडल, सा0 गंगाणपुर पोलवारा टोला, थाना किरानपुर रतवारा, जिला मधुपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामबतार दास सा0 सोनपुर दियरा थाना साहबगंज जिला साहबगंज (झारखण्ड), मो0-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चककरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्द्रेश्वर राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 हजारी राय सा0 हलंदी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, मो0-7205837161, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 18. दुनदुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता रामजी राय पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली एवं जप्त 40 नावों के मालिक तथा अज्ञात 40-50 लोग के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-जप्ती सूची की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

राजेश कुमार

22/12/23

पु.स.ओ.नं.

विश्वामाया

जप्ती सूची



1. प्रसंग :- विहवा धाना काण्ड सं. - 1272/23 दि. 21.12.23 धरा.
379/411/353/120(B)/201 भा.ल.क्रि
2. तिथि व समय - 22/12/23 समय -
3. स्थान जहाँ से जप्त किया गया है :- स. पंचलौरिया अमना बाट शोन नदी
विहवा काण्ड क्षेत्र विहवा धाना

4. गवाहों के नाम एवं पता जिसके सामने जप्ती की गई है :-
- (i) सि. 4916 राजेश कुमार (ii) सि. 1382
राज कुमार पाखवान धोना विहवा
धाना रिजर्व जार्ड लिपाही धान -
विहवा जिल्ला - परना

5. बरामद जप्त सामानों का विवरण :-
- 10 बड़ी गांज जो लोटे की बनी हैं
जिह पर शोन नदी का कालु लगे
हुआ है। जो कथ पकल हुआ
उत्पत्ता में है। जिरका लम्बाई -
⊕ लम्बाई - 71 सेंटीमीटर - 21 सेंटीमीटर
शोन नदी का पील कालु लगे हुआ
जप्त किया गया है।

6. गवाहों का हस्ताक्षर :- (1) सि. 4916 राजेश कुमार

(2) सि. 1382 राज कुमार पाखवान

7. पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-
मुनेश कुमार भारती
पा.सि. 198/3/2023
22.12.23
विहवा धाना

स. पंचलौरिया अमना बाट शोन नदी विहवा
काण्ड क्षेत्र विहवा

22/12/24


बि. ए. ए.

(2) 34


(3X)


9)  $\begin{matrix} R \\ T \\ I \end{matrix}$ विद्यामन (महेश)


10) उपेन्द्र कुमार
रमेश शर्मा


11)  $\begin{matrix} R \\ T \\ I \end{matrix}$ कामेश्वर शर्मा


12) शम्भुनाथ शर्मा

13)  $\begin{matrix} R \\ T \\ I \end{matrix}$ पंकज कुमार


14)  $\begin{matrix} R \\ T \\ I \end{matrix}$ लालु पांडेयान

15)  $\begin{matrix} R \\ T \\ I \end{matrix}$ उपेन्द्र शर्मा

16)  $\begin{matrix} R \\ T \\ I \end{matrix}$ पंकज कुमार

17)  $\begin{matrix} R \\ T \\ I \end{matrix}$ अरीवन्द शर्मा

18) तुलुन कुमार

19)  $\begin{matrix} R \\ T \\ I \end{matrix}$ लक्ष्मण कुमार





पत्रांक...1156.../गो0

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पटना ।

प्रेषक,

पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह
वरीय पुलिस अधीक्षक,
पटना ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना ।

पटना, दिनांक :- 30/01/2024

प्रसंग :-

भवदीय कार्यालय का पत्रांक-265/खनन, दिनांक-25.01.2024

विषय :-

दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक "बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, 40 बड़े नाव जप्त" मामले में स्वतः संज्ञान पर सुनवाई के संबंध में।


महाराय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषयक पत्र के संदर्भ में थानाध्यक्ष, बिहटा थाना का डी0आर0 सं0-520/24, दिनांक-29.01.2024 एवं थानाध्यक्ष, मनेर थाना का ज्ञापांक-506/24, दिनांक-29.01.2024 के माध्यम से प्रतिवेदन अनुलग्नक सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रति साथ संलग्न कर भवदीय अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :-यथोपरि ।

विश्वासभाजन

पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह
वरीय पुलिस अधीक्षक,
पटना ।



श्री श्रीमान् को सादर सूचनाार्थ ।

पटना ।

महतीय के कार्यालय ज्ञापक-10548/सो0 दिनांक-27.01.24

दिनांक 22.12.23 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक था- स्वयं सोन नदी पर विद्यमान पुलों के अपभ्रंशन में 20 गिरफ्तार 40 बड़ी नाव जप्त की खबर में विचार प्रतिक्रिया ।

सम्बन्धित पहलू एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि विद्यमान पुलिस मुख्यालय (विधि-व्यवस्था प्रभाग) पटना के पत्र सं0-बल/01-बल-2015(Vol-007424 दिनांक-01.11.2015) तथा पत्र सं0-महतीय के आदेश ज्ञापक-10548/सो0 दिनांक-02.11.2023 के द्वारा अवैध बालू उत्खनन की रोकथाम एवं संश्लेषण अधिनियम/आरोपितों के विरुद्ध आसूचना संकलन कर कारगर प्रभावकारी छावनाभारी हेतु अनुपमदय पुलिस/पटना प्रदाधिकारी दानापुर को नोटिस प्रदाधिकारी नामित करते हुए बिहार सरकार बल-1 पटना क साथ पु0नि0 मनाज कुमार, पु0नि0 रीजन कुमार, पु0नि0 राजीव कुमार, पु0नि0 धीरेन्द्र कुमार, पु0नि0 मुमताज अंसारी, पु0नि0 नितीश कुमार, पु0नि0 सहूल कुमार, पु0नि0 प्रवीण कुमार, पु0नि0 सोहन कुमार, पु0नि0 हेमन्त कुमार, पु0नि0 संतोष कुमार सिंह, पु0नि0 गो0 आजाद खॉं, पु0नि0 अभय किशोर प्राण्डेय, पु0नि0 राम सुदिष्ट कुमार, पु0नि0 धर्मेन्द्र सिंह को रोस्टर में प्रतिनियुक्ति किया गया था। दिनांक-22.12.23 को सूचना मिली कि अमनाबाद, पथलीटिया सोन नदी के बकास दिवरा क्षेत्र में कुछ लोगों नाव के माध्यम से अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। जिसकी सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवैध बालू खनन एवं परिवहन में प्रतिनियुक्त पुलिस प्रदाधिकारी एवं कर्मी के साथ छावनाभारी कर कुल 40 बड़ी नाव सहित अवैध बालू खनन में संश्लेषित 20 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 40 बड़ी नावों को जप्त किया गया। जिसके संबंध में विहटा थाना कांड सं0-1272/23, दिनांक-22.12.23, धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुटारी मंडल सा0 बिर्नावा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा0 राहिमपुर थाना मढौरा जिला छपरा, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जर्नादन मंडल, सा0 गंगापुर पोलवाडा टोला, थाना किशनपुर रतवार, जिला मधेपुरा, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा0 सोनपुर दिवरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (शारखण्ड), 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, 9. उमैन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 हजारी राय सा0 इल्दी छपरा बंदर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता टिमल राय, सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरबंसु पासवान सा0 जकराबाद टुक, थाना राधोपुर जिला वैशाली, 15. उमैन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पानापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिवेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 18. हुनहुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 20. उमैन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व0 विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली एवं जप्त 40 नावों के मालिक तथा अज्ञात 40-50 लोग के विरुद्ध दर्ज किया है। गिरफ्तार सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं जप्त नावों के अधिहसन हेतु विहटा थाना ज्ञापक-256/24, दिनांक-16.01.24 के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी महोदय पटना को प्रतिवेदन भेजा गया है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।

अतः श्रीमान् को सादर सूचनाार्थ ।

अनुसंधानक-1. प्राथमिकी एवं जप्ती सूची की शकती प्रति।

2. अधिहसन प्रस्ताव की सच्ची प्रति।

विश्वरामदास
 2024/01/01
 10:10 AM
 जिला दण्डाधिकारी
 पटना

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,
पटना।

द्वारा :- उचित माध्यम

प्रसंग:- बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.23, धारा-379/411/353/120(बी)/201
भा0द0वि0

विषय:- कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि कांड में जा
नाव का अधिहरण प्रस्ताव विहित प्रपत्र में अग्रतर कार्रवाई एवं भवदीय के अवलोकनार्थ संलग्नव
भेजी जा रही है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ ।

अनुलग्नक-यथोपरि,



विश्वासभाजन

मुनेश कुमार ठाकुर

16.01.24

प्रा. पु. अ. नि. 0
बिहटा थाना, पटना।

अनुलग्नक
16.01.24
जिला पदाधिकारी महोदय
पटना



जाप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव ।

- 1 प्रस्तावक(थाना/उत्पाद) :- नाग :- मुनेश कुमार शर्मा
पदनाम :- पू0आ0नि0विद्यया थाना
- 2 बिहटा थाना कांड संख्या :- बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-21.12.23,
घांश-378/411/353/120(वी)/201 बा0भा0क0
- 3 छापामारी की तिथि :- 21.12.23
- 4 छापामारी स्थल:- सा0 अमानाबाद पथलीटिया सोन नदी दियरा बकासा क्षेत्र थाना-बिहटा जिला-पटना,
- 5 छापामारी में जाप्त सामग्री का विवरण :-

क्रमा	जाप्त सामान	विवरण	मालिक का नाम एवं पता
01	50 बड़ी नाव	50 बड़ी नाव में से 20 नाव जली अवस्था पाया गया जिसमें मतवार और इंजन लगा हुआ है। जिसपर पर सोन नदी का बालु लदा हुआ है।	मालिक का नाम एवं पता नाम पता सत्यापन नहीं हुआ। नाम पर कोई राजी- उत्कित नहीं है। जिसके नाम पता का लुपता नहीं हो सका।

6 गिरफ्तारी का विवरण :-

क्रम	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं उम्र	पता
1	सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष	पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली
2	संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष	पिता फुटारी मंडल सा0 विनोवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर
3	कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर
4	विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर
5	निरज कुमार उम्र 30 वर्ष	पिता दशरथ महतो सा0 राहिमपुर थाना मढौरा जिला छपरा
6	राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष	पिता श्री जर्नादन मंडल, सा0 गंगापुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा,
7	संजय कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता रामवतार दास सा0 सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड)
8	हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष	पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण,
9	उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण
10	संजीत राय उम्र 25 वर्ष	पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली
11	कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष	पिता स्व0 हजारी राय सा0 हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना
12	सत्य नारायण सहनी	पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर
13	पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता टिमल राय, सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
14	लालु पासवान उम्र 25 वर्ष	पिता हरवंशु पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली,
15	उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष	पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा
16	पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
17	अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष	पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
18	दुनदुन कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली,
19	सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष	पिता रामजी राय सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
20	धर्मन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष	पिता स्व0, विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाल

अभिजात
16/01/24



बिहटा थाना, सोन नदी, दियरा बकासा क्षेत्र

7 जप्त सामग्री के स्थल का पता :- सा0 अमनाबाद पथलौटिया सोन नदी दियरा बकास क्षेत्र
थाना-बिहटा जिला-पटना,

08 अधिनियम की धारा :- 56, 57 एवं 58 के तहत अधिदरित किए जाने का कारण व आर :- धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी के 20 नामजद अभियुक्तों जप्त 50 नाव गासिको के विरुद्ध सोन नदी में से अवैध रूप से बालू खनन कर बोरी करने के आ-आगत निर्यात परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूपेण अवैध है ।

09 प्रस्तावक पदाधिकारी का मंतव्य-

दिनांक-21.12.23 को थानाध्यक्ष महोदय द्वारा बिहटा थाना अन्तर्गत पुलिस पदाधिकारी एवं उपसेवक छापामारी दूल के सहयोग से पथलौटिया अमनाबाद सोन नदी दियरा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बा खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों की घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कु 50 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों व पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 50 बड़ी नावों पर बालू लदा जो सोन नदी में जप्त किया गया है। जप्त नाव को थाना पर नहीं लाया जा सकता है। उसकी सुरक्षा 20 सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त किया गया है। नदी में पानी बढ़ जाने से जप्त नाव डुब भी सकता है कु नाव नदी में डुबा हुआ भी है। ऐसे में अधिहरण, नीलामी कर देना ही आवश्यक प्रतित होता है ।

अतः जप्त नावों का अधिहरण प्रस्ताव का आदेश देने की कृपा की जाय।



कुमार मारनी

16.01.24

जिला पुर 378 निव। बिहटा थाना

प्रस्तावक पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(नाम व पदनाम)

10 वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला खनन पदाधिकारी की अनुशंसा :-

वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला खनन पदाधिकारी,
का हस्ताक्षर


तिथि :- 16.01.24

अनुलग्नक :-

1. प्राथमिकी की प्रति ।
2. जप्ती सूची।

अनुमोदित
16/01/24

जिला पुर 378 निव। बिहटा थाना



सेवा में,

थानाध्यक्ष महोदय,
बिहटा थाना, पटना।

महाशय,

निवेदनपूर्वक सादर सूचित करना है कि मैं परि०पु०अ०नि० सहस्र कुमार वर्तमान में बिहटा थाना में पदस्थापित हूँ। नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पटना का आदेश जापॉक- 1934(ए)/गो०, दिनांक-06.11.23 के आलोक में आज दिनांक-21.12.23 को प्रातः 06.00 बजे ग्राम-अमदाबाद, पथलौटिया गांव में अवैध बालू के खनन के विरुद्ध छापेमारी में वी०एम०पी० सशस्त्र बल एवं चौकीदार के साथ थाना से प्रस्थान किये थे। समय करीब 13.30 बजे ग्राम- पथलौटिया अमनाबाद सोन दियरा इलाके के बकास क्षेत्र पहुंचे तो देखे कि करीब 40-50 नाव के साथ करीब 100-150 व्यक्ति बालू माफिया से मिलकर सोन नदी से अवैध बालू का खनन कर नाव से ले जा रहे थे। जिराफी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को दिया। सूचना पर थानाध्यक्ष महोदय परि०पु०अ०नि० नितीश कुमार, परि०पु०अ०नि० प्रवीण कुमार, स०अ०नि० जय कुमार प्रसाद, स०अ०नि० अर्जुन सिंह एवं सशस्त्र बल के सिपाही-4916, राजेश कुमार, सिपाही-1382, राज कुमार पासवान, सिपाही-1247, धीरज कुमार पासवान, सिपाही-8206, रंजन कुमार, सिपाही- 7933, अमन कुमार, सिपाही-6258, रविरंजन कुमार एवं गृहक्षक बल के साथ समय करीब 14.45 बजे पहुंच गये। थानाध्यक्ष महोदय के सूचना पर सीमावर्ती थाने से भी पुलिस पदाधिकारी एवं बल आ गये। उपरोक्त छापेमारी दल के सहयोग से पथलौटिया अमनाबाद सोन दियरा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बालू खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों की घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम से सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कुल 40 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़ाये सभी 40 नावों पर सवार कुल 20 व्यक्तियों को उतारकर पुलिस अभिरक्षा में लेकर नाम पता पुछने पर अपना-अपना नाम क्रमशः 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा० जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, मो०-9162561070, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुटारी मंडल सा० बिनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, मो०नं०-7783878506, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व० पुलिस मंडल सा० खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, मो०-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा० नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, मो०नं०-8102372926, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा० राहिमपुर थाना मढ़ौरा जिला छपरा, मो०नं०-8084673411, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जर्नादन मंडल, सा० गंगापुर पोतवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा० सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), मो०-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व० जामुन सहनी, सा० चकदारिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा० सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्द्रेश्वर राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व० हजारी राय सा० हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा० विरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, मो०-7205837161, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता टिमल राय, सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा० जफराबाद टुक, थाना रावोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व० मेवालाल राय सा० पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 18. टुनटुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व० विशेश्वर पासवान सा० रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली बताये। पकड़ाये गये लोग एवं नावों को विधिवत जप्ती करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई किये जाने लगा तो इस कार्रवाई को देखकर सोन नदी में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के द्वारा आपस में



सहस्र कुमार
21/12/23
परि०पु०अ०नि०

बर्चस्व एवं पुलिस की कार्रवाई में व्यवधान एवं साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए सोन नदी के मुख्य धारा में लगे नावों में आग लगा दिये, ताकि सोन नदी के मुख्य धारा का रास्ता अवरुद्ध हो जाय। काबु मशकत एवं प्रयास के बाद बालू माफिया के द्वारा नाव में लगाये गये आग पर स्थानीय लोगो ए पुलिस बल के सहयोग से आग पर काबु पाया गया एवं सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त पकड़ाये लोहे की बनी कुल 40 बड़ी नावो जिस पर सोन नदी से अवैध बालू खनन कर लोड किया गया है, को चेक किया गया तो तो कुदाल एवं बाल्टी पाया गया। तत्पश्चात् दो सिपाही-4916, राजेश कुमार एवं सिपाही-1382, राज कुमार पासवान के समक्ष 40 नावों एवं उस पर रखे कुल-25 कुदाल तथा 20 बाल्टी को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। जप्ती सूची पर दोनो साक्षियो ने स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिये। जप्त सभी 40 बड़ी नावो में से करीब 10 नावो जली हुई अवस्था में है। जप्त किये गये नावो को लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया लेकिन पथलौटिय अमनाबाद के बकास एरिया में फंस जाने के कारण वह से नहीं लाया जा सका, तब नावो को घटनास्थल के पास ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। पकड़ाये गये सभी लोगो से जप्त किये गये नाव के मालिक का नाम पता पुछकर कागजात का मांग किया गया तो बताया गया कि इनलोगो को नाव मालिको का नाम पता की जानकारी नहीं है, लेकिन नाव मालिको के कहने पर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधानो के द्वारा सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर रहे थे। पकड़ाये सभी 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर ले जा रहे गिरफ्तार 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, मो0-9162561070, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुटारी मंडल सा0 बिनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, मो0नं0-7783878506, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, मो0-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला भिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, मो0नं0-8102372926, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा0 राहिमपुर थाना मढ़ौरा जिला छपरा, मो0नं0-8084673411, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जनार्दन मंडल, सा0 गंगापुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा0 सोमनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), मो0-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा0 सौदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 हजारी राय सा0 हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, मो0-7205837161, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता टिमल राय, सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राधोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 18. टुनटुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व0 विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली एवं जप्त 40 नावों के मालिक तथा अज्ञात 40-50 लोग के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-जप्ती सूची की मूल प्रति।



विश्वासभाजन

राजेश कुमार

22/12/23

पुलिस निरीक्षण/10

विश्वनाथ पटना

जप्ती सूची

- 1. प्रसंग :- बिहटा थाना कोस्ट लेट 1272/23/दि. 23/12/23 साग्य - 379/पा।/23
(20 को) 301-गठ दूध मिल्क)
- 2. तिथि व समय - 21/12/2023 साग्य - 20130 बजे से 23150 तक
- 3. स्थान जहाँ से जप्त किया गया है :- पंचलौरिया अमनाबाद सोन नदी किनारे
बालू क्षेत्र

गवाहों के नाम एवं पता जिसके सामने जप्ती की गई है :-

(i) सि. 14916 राजेश कुमार (ii) सि. 13021
राज कुमार पालवान हौसे बि. 21
घाना रिजर्व गार्ड सिपाही घाना - बि. 21
जिला - पटना

5. बरामद जप्त सामानों का विवरण :-

कुल 40 बड़ी नाव जो लोहे की
बनी है जिन पर सोन नदी का बालू
लगा हुआ जिसमें 10 नाव जली हुई
आवलों में ।

(i) 25 कुल 08 बर् (ii) 20 बालू

6. गवाहों का हस्ताक्षर :-

(1) सि. 14916 राजेश कुमार

(2) सि. 13021 राज कुमार पालवान

7. पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

राजेश कुमार
21/12/2023
पंचलौरिया अमनाबाद
बिहटा थाना पटना



पंचलौरिया अमनाबाद सोन नदी
बालू क्षेत्र

सूची
बिहटा थाना
पटना
21/12/23
RTI
9/12/23
13021
राज कुमार पालवान
बि. 21
घाना रिजर्व गार्ड सिपाही
घाना - बि. 21
जिला - पटना

~~10) पंकज कुमार~~

9)  R
T विद्यान (सहय)
I

10) उपेन्द्र कुमार

10) संजीव शर्मा

11)  R
T कामेश्वर शर्मा
I


12) सत्यनारायण सहय

13)  R
T पंकज कुमार
I


14)  R
T लालु पाखवान
I

15)  R
T उपेन्द्र शर्मा
I

16)  R
T पंकज कुमार
I

17)  R
T अलीकन्द शर्मा
I

18) तुनतुन कुमार

19)  R
T लक्ष्मण कुमार
I



जप्ता सूची

- 1. प्रसंग :- विहटा शाना काठ रु. - 1272/23 दि. 21-12-83 थारा- 379/411 (353/120(B)/201 गान्धारी
- 2. तिथि व समय - 22/12/23 समय -
- 3. स्थान जहाँ से जप्त किया गया है :- स. पम्पलोसिया अमगना थाना अमगना (विहटा वकाल क्षेत्र विहटा थाना)

4. गवाहों के नाम एवं पता जिसके समुहने जप्ती की गई है :-
 (1) सि०/4916 राजेश कुमार (पु) सि०-1382
 राज कुमार धातवान थाना विहटा
 थाना विहटा गाँव विहटा थाना -
 विहटा जिला - परना

5. बरामद जप्त सामानों का विवरण :-
 10 बड़ी नाव जो लोहे की बनी है
 जिल पर खोन नदी का बालु लदा
 हुआ है। जो जप्त किया हुआ
 उपर्युक्त में है। जिसका लम्बाई -
 (1) लम्बाई - 71 फीट चौड़ाई - 21 फीट जिला
 खोन नदी का बालु लदा हुआ
 जप्त किया गया है।

6. गवाहों का हस्ताक्षर :- (1) सि० 4916 राजेश कुमार
 (2) सि० राज कुमार धातवान
 1382

पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-
 मुनेश कुमार भारती
 पा० १४३०११०
 22/12/23
 विहटा थाना



कंप - पम्पलोसिया अमगना थाना खोन नदी थाना
 वकाल क्षेत्र विहटा

जमाना सूची

- ① प्रयोग :- विहटा धाना कांड ल - 1272/23 दि - 21.12.23 धारा - 379/सा।/353/120(B)/201 भा.द.दि.
- ② तिथि व समय :- 22.12.23 समय;
- ③ स्थान जहां से जप्त किया गया है :- पंचलोदिया अमना बाढ़ सोन नदी किनारा ककड़ क्षेत्र धाना - विहटा
- ④ गवाही के नाम व पता :- (i) सि०-4516 राजेश कुमार (ii) सि०-1382 राजकुमार पानवान दोनों विहटा धाना रिजर्व गार्ड लिफ्टी धाना-विहटा जिल्ला - पटना
- ⑤ वरामद जप्त सामानों का विवरण :- कुल - 50 नाव जो लैटे की बनी है जिस पर सोन नदी का बालू लदा हुआ जिसमें 20 नाव जली हुई अवस्था में

- ① नाव ल०- 75 फीट ल०- 21 फीट जिसपर जय सोनमधु बाव लिखा हुआ - इंजन डका हुआ
- ② नाव ल०- 75 फीट ल०- 20 फीट आधा ल०- 20 फीट ल०- 20 फीट
- ③ नाव ल०- 75 फीट ल०- 21 फीट इंजन डका हुआ
- ④ लकड़ी का छोटा नाव जो डका हुआ है।
- ⑤ नाव ल०- 70 फीट ल०- 20 फीट आधा जल्ला हुआ
- ⑥ नाव ल०- 75 फीट ल०- 21 फीट इंजन डका हुआ
- ⑦ नाव डका हुआ एवं जल्ला हुआ
- ⑧ नाव ल०- 75 फीट ल०- 21 फीट आधा जल्ला हुआ
- ⑨ नाव डका हुआ एवं जल्ला हुआ
- ⑩ नाव ल०- 71 फीट ल०- 20 फीट आधा जल्ला हुआ
- ⑪ नाव ल०- 70 फीट ल०- 20 फीट आधा जल्ला हुआ
- ⑫ नाव ल०- 69 फीट ल०- 19 फीट जल्ला हुआ
- ⑬ नाव ल०- 71 फीट ल०- 20 फीट आधा जल्ला हुआ
- ⑭ डका हुआ एवं जल्ला हुआ
- ⑮ नाव ल०- 70 फीट ल०- 20 फीट आधा जल्ला हुआ
- ⑯ नाव ल०- 69 फीट ल०- 19 फीट आधा जल्ला हुआ
- ⑰ नाव ल०- 71 फीट ल०- 21 फीट आधा जल्ला हुआ
- ⑱ नाव ल०- " ल०- " आधा जल्ला हुआ
- ⑲ नाव ल०- " ल०- " आधा जल्ला हुआ



- (20) नाव डुवा डुआ इनाधा
- (21) नाव लो - 71 फीट लॉ - 21 फीट जाला डुआ डुआ
- (22) नाव लो - 67 " लॉ - 19 " इंजन डुवा डुआ
- (23) नाव लो - 68 " लॉ - 19 " इंजन डुवा डुआ
- (24) नाव लो - 75 " लॉ - 21 " इंजन डुवा डुआ
- (25) नाव आधा डुवा डुआ
- (26) नाव लो - 71 " लॉ - 20 फीट इंजन लो - 4E74 A49
- (27) नाव आधा डुवा लो आधा जाला डुआ
- (28) नाव लो - 71 " लॉ - 20 इंजन लो - U 021867 जममा आधिकारी
- (29) नाव आधा डुवा डुआ जममा मंगल मरुथ
- (30) नाव जाला डुआ इंजन डुवा (31) लो - 71 लॉ - 20 जाला डुआ
- (32) नाव लो - 71 लॉ - 20 इंजन डुवा डुआ
- (33) नाव डुवा डुआ (34) डुवा डुआ (35) डुवा लो जाला डुआ
- (36) नाव डुवा लो जाला डुआ (37) डुवा डुआ मंगल मरुथ
- (38) डुवा डुआ (39) डुवा डुआ दानी एमएफ (40) डुवा लो जाला डुआ
- (41) जाला डुआ (42) जाला डुआ केल मंगल मरुथ
- (43) डुवा डुआ (44) लो - 70 लॉ - 20 " इंजन डुवा डुआ
- (45) डुवा डुआ (46) डुवा डुआ (47) डुवा डुआ जममा मंगल
- (48) लो - 75 फीट लॉ - 22 फीट इंजन लो - 0023887
- (49) डुवा डुआ (50) डुवा डुआ जममा मंगल

6. गवाही का दस्तावेज: ① सि० 4816 राजेश कुमार

② राजेश कुमार - पालवानि
1382

⑦ पुलिस पदाधिकारी का दस्तावेज -

मुनेश कुमार भारती
22.12.23
पति ० पु० उ० नि०
विहरी भांग परतन


कैद - दलमो सिधा अमनावाद सोन गवा
विहरी नगर क्षेत्र विहरी



शापांक-506/24

दिनांक-29/01/2024

सेवा में,



पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह

वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय

पटना।

प्रसंग:-

वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पटना के कार्यालय शापांक-1083/गो0 दिनांक-27.01.2024।

विषय:-

दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, एवं 40 बड़े नाव जप्त मामलों के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, एवं 40 बड़े नाव जप्त हुए हैं। मनेर थाना, पटना के द्वारा दिनांक-22.12.2023 को सोन नदी में कोई गिरफ्तारी एवं कोई नाव नहीं जप्त किया गया है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

21
29/1/24
पु0नि0-सह-थानाध्यक्ष

मनेर थाना, पटना
पु0 नि0 सह थानाध्यक्ष
मनेर, पटना-पटना



समाहरणालय, पटना।

(खनन शाखा)

पत्रांक 341 / खनन, पटना।

फोन नं० :- 0612-2219545(O),2219097(R)

फैक्स नं०:- 0612 - 2218900 (Fax)

ई-मेल :- dm-patna.bih@nic.in

दिनांक: 2/2/2024

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

Shri Azmat H. Amanullah,
Additional Standing Counsel
Advocate on Record, Supreme Court of India
Mobile : +91 - 9810612316
Office: 6/2, Lower Ground Floor,
Jangpura-B, New Delhi 110014.

विषय:- O.A. No. 108/2024/PB, Suo Muto Matter: News item appearing in "Down to Earth" dated 22-12-2023 Title "Sand mining: 20 arrested, 40 big boats seized in Bihar Police operation on Sone River." के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली के द्वारा लिए गए संज्ञान का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग:- O.A. No. 108/2024 में अवर निबंधक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र एवं सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक-204, पटना, दिनांक-24.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि O.A. No. 108/2024 में अवर निबंधक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र द्वारा संसूचित किया गया है कि 'Down to Earth' में दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित खबर "Sand mining: 20 arrested, 40 big boats seized in Bihar Police operation on Sone River." मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक-05.02.2024 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फरिदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में सुनवाई हेतु मामला सूचीबद्ध है।

अतः उक्त के आलोक में सुनवाई के दौरान अद्योहस्ताक्षरी के तरफ से पक्ष रखने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन
जिला पदाधिकारी, 20/2/24
पटना।

(481)



जिला खनन कार्यालय, पटना

Email Id:- admptatna1111@gmail.com

(कमरा सं०-13, 14 एवं 15, ट्राजिट होस्टल, वीरचंद पटेल पथ, पटना-1)

पत्रांक- 315 / एम.

पटना, दिनांक- 31.1.24

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

विषय:- O.A. No. 108/2024/PB, Suo Muto Matter: News item appearing in "Down to Earth" dated 22-12-2023 Title "Sand mining: 20 arrested, 40 big boats seized in Bihar Police operation on Sone River." के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली के द्वारा लिए गए संज्ञान का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग:- सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक-204, पटना, दिनांक-24.01.2024 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, पटना के ज्ञापांक-1131/गो0, पटना, दिनांक-24.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में सादर पूर्वक कहना है कि 'Down to Earth' में दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित खबर "बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, 40 बड़े नाव जप्त" मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक-05.02.2024 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फरिदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में सुनवाई हेतु मामला सूचीबद्ध है, से संबंधित प्रतिवेदन निम्नलिखित है:-

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उक्त मामले से संबंधित परि0पु0नि0 श्री राहुल कुमार, बिहटा थाना, जिला-पटना द्वारा बहटा थानान्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या-5117008231272, दिनांक-22.12.2023 में उल्लेखित है कि "नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, पटना के आदेश ज्ञापांक-1934(ए)/गो0, दिनांक-06.11.2023 के आलोक में दिनांक-21.12.2023 प्रातः 06:00 बजे ग्राम अमनाबाद, पथलौटिया गांव में अवैध बालू खनन के विरुद्ध छापेमारी में बी0एम0पी0 सशस्त्र बल एवं चौकिदार के साथ प्रस्थान किया गया। समय लगभग 11:30 बजे ग्राम-पथलौटिया अमनाबाद सोन दियारा इलाके के बकास क्षेत्र पहुंचे तो देखे कि करीब 40-50 नाव के साथ करीब 100-150 व्यक्ति बालू माफिया से मिलकर सोन नदी से अवैध बालू का खनन कर नाव से ले जा रहे थे। जिसकी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को दिया गया।

➤ सूचना पर थानाध्यक्ष महोदय परि0पु0अ0नि0 नितीश कुमार, परि0पु0अ0नि0 प्रवीण कुमार, स0अ0नि0 जय कुमार प्रसाद, स0अ0नि0 अर्जुन सिंह एवं सशस्त्र बल के सिपाही के साथ करीब 14:45 बजे पहुंच गये। थानाध्यक्ष महोदय के सूचना पर सीमावर्ती थाने से भी पुलिस पदाधिकारी एवं बल आ गये उपरोक्त छापेमारी दल के सहयोग से पथलौटिया अमनाबाद सोन दियारा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बालू खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों को घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम से सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कुल 40 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़ाये सभी नाव पर सवार कुल 20 व्यक्तियों को उतारकर पुलिस अभिरक्षा में लेकर नाम एवं पता का पृच्छा किया गया।

➤ तत्पश्चात् पकड़ाये गये लोग एवं नावों को विधिवत् जप्ती करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जाने लगा तो इस कार्रवाई को देखकर सोन नदी में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के द्वारा आपस में वर्चस्व एवं पुलिस की कर्कड़ में व्यवधान एवं साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए सोन नदी के मुख्य धारा में लगे नाव में आग लगा दिये, ताकि सोन नदी के मुख्य धारा का सरता अवरुद्ध हो जाय। काफी मशक्कत एवं प्रयास के बाद बालू माफिया के द्वारा नाव में लगाए गए आग पर स्थानीय लोगों एवं पुलिस बल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया एवं सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त पकड़ाये गये लोहे की

बनी कुल 40 बड़ी नावों जिसपर सोन नदी से अवैध बालू खनन कर लोड किया गया है, को चेक किया गया तो कुदाल एवं बाल्टी पाया गया। तत्पश्चात् उक्त 40 नावों एवं उसपर रखे कुल 25 कुदाल तथा 20 बाल्टी को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया।

➤ जप्त सभी 40 नावों में से लगभग 10 नावे जली हुई अवस्था में हैं। जप्त की गई नावों को लाने का हरसंभव प्रयास किया गया लेकिन पथलौटिया अमनाबाद के बकास एरिया में फंस जाने के कारण वहां से नहीं लाया जा सका, तब नावों को घटनास्थल के पास ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। पकड़ाये गये सभी 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया।”

➤ साथ ही उक्त दर्ज प्राथमिकी में यह भी उल्लेखित है कि गिरफ्तार 20 व्यक्तियों एवं जप्त 40 नाव मालिकों तथा अज्ञात 40-50 लोगों के विरुद्ध परि०पु०नि० श्री राहुल कुमार, बिहटा थाना, जिला-पटना द्वारा बिहटा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसका काण्ड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.2023 है (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न)।

➤ इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उक्त कार्रवाई के आलोक में भवदीय पत्रांक-283/एम०, दिनांक-27.01.2024 द्वारा इससे संबंधित प्रतिवेदन की मांग वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से की गई थी, जिसके आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1156/गो०, पटना, दिनांक-30.01.2024 द्वारा थानाध्यक्ष, बिहटा थाना का डी०आर० संख्या-520/24, दिनांक-29.01.2024 एवं थानाध्यक्ष, मनेर थाना का ज्ञापांक-506/24, दिनांक-29.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन को संलग्न कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नलिखित है-

➤ बिहटा थाना के प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि:-

“बिहार पुलिस मुख्यालय (विधि-व्यवस्था प्रभाग) पटना के पत्र संख्या-बल/01-बल-2015 (Vol-III/424, दिनांक-01.11.2023 तदोपरान्त वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश ज्ञापांक-10548/गो०, दिनांक-02.11.2023 के द्वारा अवैध बालू उत्खनन की रोकथाम एवं संलिप्त अपराधियों/आरोपितों के विरुद्ध आसूचना संकलन कर कारगर प्रभावकारी छापेमारी हेतु अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए बिहार सशस्त्र बल-1 पटना के साथ पु०नि० मनोज कुमार, पु०नि० रौशन कुमार, पु०नि० राजीव कुमार, पु०नि० धीरेन्द्र कुमार, पु०नि० मुमताज अंसारी, पु०आ०नि० नितीश कुमार, पु०आ०नि० राहुल कुमार, पु०आ०नि० प्रवीण कुमार, पु०आ०नि० संभव कुमार, स०आ०नि० हेमन्त कुमार, स०आ०नि० संतोष कुमार सिंह, स०आ०नि० मो० आजाद खॉं, स०आ०नि० अभय किशोर पाण्डेय, स०आ०नि० राम सुदिष्ट कुमार, स०आ०नि० धर्मन्द्र कुमार को रोस्टर में प्रतिनियुक्त किया गया था। दिनांक-22.12.2023 को सूचना मिली की अमनाबाद पथलौटिया सोन नदी के बकास दियारा क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा नाव के माध्यम से अवैध बालू खनन कर रहे हैं। जिसकी सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवैध बालू खनन एवं परिवहन में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ छापेमारी कर कुल 40 बड़ी नाव सहित अवैध बालू खनन में संलिप्त 20 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 40 बड़ी नावों को जप्त किया गया। जिसके संबंध में बिहटा थाना काण्ड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.2023, धारा-379/411/353/120(बी०)/201 भा०द०वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार 20 व्यक्तियों एवं जप्त 40 नावों के मालिकों तथा अज्ञात 40-50 लोग के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। गिरफ्तार सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं जप्त नावों के अधिहरण हेतु बिहटा थाना ज्ञापांक-256/24, दिनांक-16.01.2024 के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी महोदय, पटना को प्रतिवेदन भेजा गया है। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है (प्राथमिकी एवं जप्ती सूची की सच्ची प्रति एवं अधिहरण प्रस्ताव की सच्ची प्रति संलग्न)।”

➤ मनेर थाना के प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि:-

“दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समचार का शीर्षक बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार एवं 40 बड़े नाव जप्त हुए हैं। मनेर थाना, पटना के द्वारा

दिनांक-22.12.2023 को सोन नदी में कोई गिरफ्तारी एवं कोई नाव जप्त नहीं किया गया है।

➤ अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दिनांक- 01.04.2023 से दिनांक-31.12.2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	01 अप्रैल 2023 से 30 दिसम्बर 2023 तक	448	236	75	921	1118.88

➤ जिला खनन कार्यालय, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह- अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक	587	134	142	1377	1643.66

➤ पटना जिला के बिहटा थानान्तर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक	70	32	39	283	311.62

➤ पटना जिला के बिहटा थानान्तर्गत अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक	51	46	47	247	111.47

उक्त के अलावे बिहटा थानान्तर्गत बिहार सशस्त्र बल-1 के जवानों के साथ की गई संयुक्त कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	गिरफ्तारी	जप्त वाहन	जप्त अन्य सामान
01	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1067/23, दिनांक-01.11.2023, धारा-379/411/201 भा०द०वि०	-	-	मोबाईल-02
02	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1068/23, दिनांक-01.11.2023, धारा-379 भा०द०वि०	-	-	-
03	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1073/23, दिनांक-02.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा०द०वि०	-	ट्रैक्टर-13	-
04	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1076/23, दिनांक-04.11.2023, धारा-379/411/414 भा०द०वि०	03	10 चक्का ट्रक-02 ट्रैक्टर-13 लोडर-01	72,000/- रू० नगद

29	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1267/23, दिनांक-20.12.2023, धारा-379/411 भा0द0वि0	01	10 चक्का ट्रक-01	18,000/- रु0 नगद
30	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.2023, धारा-379/411/353/201/120(बी) भा0द0वि0	20	नाव-40	-
31	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1274/23, दिनांक-23.12.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	02	ट्रैक्टर-03	-
32	बिहटा थाना काण्ड संख्या-34/24, दिनांक-09.01.2024, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	01	ट्रैक्टर-01	-
33	बिहटा थाना काण्ड संख्या-67/24, दिनांक-17.01.2024, धारा-379/411/420/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रक-11	-

साथ ही जिलान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु Integrated स्थायी चेक पोस्ट के अधिष्ठापन हेतु स्थल यथा पालीगंज अंचलान्तर्गत मौजा-महाबलीपुर, बिक्रम अंचलान्तर्गत मौजा-कनपा तथा बिहटा अंचलान्तर्गत मौजा-परेव में भूमि चिन्हित कर लिया गया है एवं अवैध खनन संभावित क्षेत्र में पुलिस पीकेट (चेक-पोस्ट) बनाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने हेतु दिए गए निदेश के आलोक में नगर पुलिस अधीक्षक के पत्रांक-1307/गो0, दिनांक-03.08.2023 के द्वारा समर्पित अवैध बालू खनन, परिवहन के रोकथाम के लिए पुलिस पीकेट की स्थापना हेतु प्रस्ताव के आलोक में अंचलाधिकारी मनेर द्वारा मौजा-सुअरमरुवा चौरासी तथा रामपुर दियारा एवं अंचलाधिकारी बिहटा द्वारा मौजा-अमनाबाद में स्थल चिन्हित कर इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिससे संबंधित प्रतिवेदन कार्यालय पत्रांक-284/एम0, पटना दिनांक-27.01.2024 द्वारा निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है तथा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन
31/01/2024
खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।
31/1/24

52

516

पत्रांक...1156/गो0

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पटना ।

प्रेषक,

पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह
वरीय पुलिस अधीक्षक,
पटना ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना ।

पटना, दिनांक :- 30/01/2024

प्रसंग :-

भवदीय कार्यालय का पत्रांक-265/खनन, दिनांक-25.01.2024

विषय :-


दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक "बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, 40 बड़े नाव जप्त" मामले में स्वतः संज्ञान पर सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषयक पत्र के संदर्भ में थानाध्यक्ष, बिहटा थाना का डी0आर0 सं0-520/24, दिनांक-29.01.2024 एवं थानाध्यक्ष, मनेर थाना का ज्ञापांक-506/24, दिनांक-29.01.2024 के माध्यम से प्रतिवेदन अनुलग्नक सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रति साथ संलग्न कर भवदीय अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :-यथोपरि ।

विश्वासभाजन



पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह

वरीय पुलिस अधीक्षक,


पटना ।

संख्या नं.

वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय,
पटना।

भवदीय के कार्यालय ज्ञापक-1083/गो० दिनांक-27.01.24

दिनांक-22.12.23 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, 40 बड़े नाव जप्त के संबंध में रिपोर्ट प्रतिकरना।



उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि बिहार पुलिस मुख्यालय (विधि-व्यवस्था प्रभाग) पटना के पत्र सं०-बल/01-बल-2015(Vol-III/424 दिनांक-01.11.2013 तदोपरान्त भवदीय के आदेश ज्ञापक-10548/गो० दिनांक-02.11.2023 के द्वारा अवैध बालू उत्खनन की रोकथाम एवं संलिप्त अपराधियों/आरोपितों के विरुद्ध आसूचना संकलन कर कारगर प्रभावकारी छापामारी हेतु अनुमंडल पुलिस पटना अधिकारी दानापुर को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए बिहार सशस्त्र बल-1 पटना के साथ पु०नि० मंजु कुमार, पु०नि० रौशन कुमार, पु०नि० राजीव कुमार, पु०नि० धीरेन्द्र कुमार, पु०नि० मुमताज अंसारी, पु०नि० नितीश कुमार, पु०नि० राहुल कुमार, पु०नि० प्रवीण कुमार, पु०नि० संभव कुमार, पु०नि० हेमन्त कुमार, पु०नि० संतोष कुमार सिंह, पु०नि० मो० आजाद खाँ, पु०नि० अभय किशोर पाण्डेय, पु०नि० राम सुदिष्ट कुमार, पु०नि० धर्मेन्द्र सिंह को रोस्टर में प्रतिनियुक्त किया गया था। दिनांक-22.12.23 को सूचना मिली कि अमनाबाद, पथलौटिया सोन नदी के बकास दियरा क्षेत्र में कुछ लोगों नाव के माध्यम से अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। जिसकी सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवैध बालू खनन एवं परिवहन में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ छापामारी कर कुल 40 बड़ी नाव सहित अवैध बालू खनन में संलिप्त 20 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 40 बड़ी नावों को जप्त किया गया। जिसके संबंध में बिहटा थाना कांड सं०-1272/23, दिनांक-22.12.23, धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा०द०वि० के अन्तर्गत 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा० जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुटारी मंडल सा० बिनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व० पुलिस मंडल सा० खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा० नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा० राहिमपुर थाना मढ़ौरा जिला छपरा, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जर्नादन मंडल, सा० गंगाणपुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा० सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व० जामुन सहनी, सा० चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा० सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व० हजारी राय सा० हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा० बिरसनपुर जौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता टिमल राय, सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा० जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व० मेवालाल राय सा० पानापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 18. दुनदुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व० विशेषर पासवान सा० रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली एवं जप्त 40 नावों के मालिक तथा अज्ञात 40-50 लोग के विरुद्ध दर्ज किया है। गिरफ्तार सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं जप्त नावों के अधिहरण हेतु बिहटा थाना ज्ञापक-256/24, दिनांक-16.01.24 के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी महोदय पटना को प्रतिवेदन भेजा गया है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।

अतः श्रीमान् को सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नक-1. प्राथमिकी एवं जप्ती सूची की सच्ची प्रति।

2. अधिहरण प्रस्ताव की सच्ची प्रति।

विश्वासभाजन

गुणेश कुमार कार्तिक
29/01/24
पटना थाना।

DR No - 520/24
29/01/24



सेवा में

जिला पदाधिकारी महोदय,
पटना।

द्वारा :- उचित माध्यम

प्रसंग:- बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.23, धारा-379/411/353/120(बी)/201
भा0द0वि0

विषय:- कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव विहित प्रपत्र में अग्रतर कार्रवाई एवं भवदीय के अवलोकनार्थ संलग्नव भेजी जा रही है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ ।

अनुलग्नक-यथोपरि,



विश्वासभाजन

मुनेश कुमार भार्गव

16.01.24

जिला पदाधिकारी महोदय,
बिहटा थाना, पटना।

अ. 01/16
16.01.24
जिला पदाधिकारी महोदय,
बिहटा थाना, पटना।

जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव ।

- 1 प्रस्तावक(थाना/उत्पाद) :- नाम:- मुनेश कुमार भारती
पदनाम- पु0अ0नि0बिहटा थाना
- 2 बिहटा थाना कांड संख्या :- बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-21.12.23,
धारा-379/411/353/120(बी)/201 मा0द0वि0
- 3 छापामारी की तिथि :- 21.12.23
- 4 छापामारी स्थल:- सा0 अमनाबाद पथलौटिया सोन नदी दियरा बकास.क्षेत्र थाना-बिहटा जिला-पटना,
- 5 छापामारी में जप्त सामग्री का विवरण :-

क्रम	जप्त सामान	विवरण	मालिका का नाम एवं पता
01	50 बड़ी नाव	50 बड़ी नाव में से 20 नाव जली अवस्था पाया गया जिसमे पतवार और इंजन लगा हुआ है। जिसपर पर सोन नदी का बालु लदा हुआ है।	नाम पता सत्यापन नहीं हुआ। नाव पर कोई राजि० न० डंकित नहीं है। जिले नाम पता का सत्यापन नहीं हो सका।

6 गिरफ्तारी का विवरण :-

क्रम	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं उम्र	पता
1	सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष	पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली
2	संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष	पिता फुटारी मंडल सा0 बिनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर
3	कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर
4	विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर
5	निरज कुमार उम्र 30 वर्ष	पिता दशरथ महतो सा0 राहिमपुर थाना मढ़ौरा जिला छपरा
6	राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष	पिता श्री जर्नादन मंडल, सा0 गंगाणपुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा,
7	संजय कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता रामवतार दास सा0 सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड)
8	हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष	पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण,
9	उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण,
10	संजीत राय उम्र 25 वर्ष	पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली
11	कानेश्वर राय उम्र 55 वर्ष	पिता स्व0 हजारी राय सा0 हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना
12	सत्य नारायण सहनी	पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर
13	पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता टिमल राय, सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
14	लालु पासवान उम्र 25 वर्ष	पिता हरवंशु पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली,
15	उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष	पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा
16	पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
17	अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष	पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
18	टुनटुन कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली,
19	सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष	पिता रामजी राय सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
20	धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष	पिता स्व0, विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाल

अधिसूचक
16/10/24
विभागाध्यक्ष, बिहार


7 जप्त सामग्री के स्थल का पता :-सा0 अमनाबाद पथलौटिया सोन नदी दियरा बकास क्षेत्र
थाना-बिहटा जिला-पटना,

08 अधिनियम की धारा :- 56, 57 एवं 58 के तहत अधिहरित किए जाने का कारण व आधार
:- धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी के 20 नामजद अभियुक्तों एवं
जप्त 50 नाव मालिकों के विरुद्ध सोन नदी में से अवैध रूप से बालू खनन कर चोरी करने के आरोप
आयात निर्यात परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूपेण अवैध है ।

09 प्रस्तावक पदाधिकारी का मंतव्य-

दिनांक-21.12.23 को थानाध्यक्ष महोदय द्वारा बिहटा थाना अन्तर्गत पुलिस पदाधिकारी एवं उपरोक्त
छापामारी दल के सहयोग से पथलौटिया अमनाबाद सोन नदी दियरा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बालू
खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों की घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम से
सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कुल
50 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों को
पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 50 बड़ी नावों पर बालू लदा है
जो सोन नदी में जप्त किया गया है। जप्त नाव को थाना पर नहीं लाया जा सकता है। उसकी सुरक्षा में
20 सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त किया गया है। नदी में पानी बढ़ जाने से जप्त नाव डुब भी सकता है कुछ
नाव नदी में डुबा हुआ भी है। ऐसे में अधिहरण, नीलामी कर देना ही आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः जप्त नावों का अधिहरण प्रस्ताव का आदेश देने की कृपा की जाय।



कुमार मरनी
16.01.24
प्रस्तावक पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

10 वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला खनन पदाधिकारी की अनुशांसा :-

वरीय पुलिस अधीक्षक/ जिला खनन पदाधिकारी,
का हस्ताक्षर

तिथि :- 16.01.24

अनुलग्नक :-

1. प्राथमिकी की प्रति ।
2. जप्ती सूची।

अध्यापक
16/01/24
अधीक्षक

57

संख्या

असाधारण महोदय,
विद्युत शाखा, पटना।

व्यवस्थापक

निवेदनपूर्वक सादर सूचित करना है कि मैं परि०पु०अ०नि० राहुल कुमार वर्तमान में विद्युत शाना में पदस्थापित हूँ। नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पटना का आदेश आर्पांक- 1934(ए)/गो० दिनांक-06.11.23 के आलोक में आज दिनांक-21.12.23 को प्रातः 06.00 बजे गाम-अमनावाद, पथलौटिया गांव में अवैध बालू के खनन के विरुद्ध छापेमारी में वी०एम०पी० सशस्त्र बल एवं चौकीदार के साथ थाना से प्रस्थान किये थे। समय करीब 13.30 बजे ग्राम- पथलौटिया अमनावाद सोन दियरा इलाके के विकास क्षेत्र पहुंचे तो देखे कि करीब 40-50 नाव के साथ करीब 100-150 व्यक्ति बालू थानाध्यक्ष महोदय को दिया। सूचना पर थानाध्यक्ष महोदय परि०पु०अ०नि० नितेश कुमार, परि०पु०अ०नि० प्रवीण कुमार, स०अ०नि० जय कुमार प्रसाद, स०अ०नि० अर्जून सिंह एवं सशस्त्र बल के सिपाही-4916, राजेश कुमार, सिपाही-1382, राज कुमार पासवान, सिपाही-1247, धीरज कुमार पासवान, सिपाही-8206, रंजन कुमार, सिपाही-7933, अमन कुमार, सिपाही-6258, रविरंजन कुमार एवं गृहक्षक बल के साथ समय करीब 14.45 बजे पहुंच गये। थानाध्यक्ष महोदय के सूचना पर सीमावर्ती थाने से भी पुलिस पदाधिकारी एवं बल आ गये। उपरोक्त छापेमारी दल के सहयोग से पथलौटिया अमनावाद सोन दियरा इलाके के विकास क्षेत्र में अवैध बालू खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों की घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम से सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कुल 40 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़ाये सभी 40 नावों पर सवार कुल 20 व्यक्तियों को उतारकर पुलिस अभिरक्षा में लेकर नाम पता पुछने पर अपना-अपना नाम क्रमशः 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा० जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, मो०-9162561070, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुटारी मंडल सा० बिनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, मो०नं०-7783878506, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व० पुलिस मंडल सा० खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, मो०-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा० नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, मो०नं०-8102372926, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा० राहिमपुर थाना मढ़ौरा जिला छपरा, मो०नं०-8084673411, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जर्नादन मंडल, सा० गंगापुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला नधेपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा० सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), मो०-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व० जागुन सहनी, सा० चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा० सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो०-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व० हजारी राय सा० हल्दी छपरा बदर टोला थाना मन्नेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा० बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, मो०-7205837161, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता टिमल राय, सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा० जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व० मेवालाल राय सा० पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा० सवलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा० सवलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 18. दुनदुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मेन्द्र पासवान उम्र 33 वर्ष पिता स्व० विशेश्वर पासवान सा० रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली कागो। पकड़ाये गये लोगों एवं नावों को विभिन्न जल्ती करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई किये जाते लगे तो इस कार्रवाई के अलावा सोन नदी में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के द्वारा आपरा में

Received by
M/s. Ganga
Sons
Pattana
Date: 21/12/23
Time: 14:45
By: [Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

सोन एवं पुलिस की कार्रवाई से व्यवधान एवं साक्षी को प्रभावित करने के लिए सोन नदी में कुदाल एवं जप्त नावों में बांध लगा दिये, ताकि सोन नदी के मुख्य धारा का रास्ता अवरोध हो जाय। जप्त गश्तियाँ एवं कमान के बांध वाले भाण्डियों के द्वारा नाव में लगाये गये आग पर स्थानीय लोगों एवं पुलिस बल के सहयोग से आग पर काबु पाया गया एवं सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त पकड़ाये लोहे की बनी कुल 40 बड़ी नावों जिसे पर सोन नदी से अवैध बालू खनन कर लोड किया गया है, को ब्रेक किया गया तो तो कुदाल एवं बाल्टी पाया गया। तत्पश्चात् दो सिपाही-4916, राजेश कुमार एवं सिपाही-1382, राज कुमार पासवान के समक्ष 40 नावों एवं उस पर रखे कुल-26 कुदाल तथा 20 बाल्टी को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। जप्ती सूची पर दोनो साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिये। जप्त सभी 40 बड़ी नावों में से करीब 10 नावें जली हुई अवस्था में हैं। जप्त किये गये नावों को लाने के लिए हरसंगव प्रयास किया लेकिन पथलौंटिय अमनाबाद के बकास एरिया में फंस जाने के कारण वह से नहीं लाया जा सका, तब नावों को घटनास्थल के पास ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। पकड़ाये गये सभी लोगों से जप्त किये गये नावों के मालिक का नाम पता पुछकर कागजात का मांग किया गया तो बताया गया कि इनलोगों को नाव मालिकों का नाम पता की जानकारी नहीं है, लेकिन नाव मालिकों के कहने पर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधानों के द्वारा सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर रहे थे। पकड़ाये सभी 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर ले जा रहे गिरफ्तार 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, मो0-9162561070, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुटारी मंडल सा0 बिनोवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, मो0नं0-7783878506, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, मो0-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिश्रचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, मो0नं0-8102372926, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा0 राहिंगपुर थाना मढौरा जिला छपरा, मो0नं0-8084673411, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जार्नादन मंडल, सा0 गंगापुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा0 सोहनपुर दरिया थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), मो0-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदूपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 हजारी राय सा0 हल्दी छपरा बंदर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा0 बिरसानपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, मो0-7205837161, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता टिमल राय, सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरसंग पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राधोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पानापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 18. दुनदुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदूपुर जिला वैशाली, 19. सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व0 विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली एवं जप्त 40 नावों के मालिक तथा अज्ञात 40-50 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-जप्ती सूची की मूल प्रति।

विश्वनाथराज

20/10/2019

20/10/2019

20/10/2019

~~8)  (विज्ञान मध्य)~~

9)  (विज्ञान मध्य)

10) अजीत कुमार

11) संचयन राय


12)  कामेश्वर राय


13) संचयन राय (सहज)

14)  पंकज कुमार

15)  लालु पाखवान

16)  उपेन्द्र राय

17)  पंकज कुमार

18)  अजीत कुमार

19) सुनलु कुमार

20)  लालु पाखवान



जप्ती सूची

- 1. प्रसंग :- विहरा थाना काण्ड सं. - 1272/23 दि. 21.12.23 व 379/411/353/120(B)/201 मान्य. नि
- 2. तिथि व समय - 22/12/23 समय -
- 3. स्थान जहाँ से जप्त किया गया है :- स. पंचलौरिया अमना बाट स्थान विहरा वकास क्षेत्र विहरा थाना

4. गवाहों के नाम एवं पता जिसके समुने जप्ती की गई है :-
 (i) सि/4916 राजेश कुमार (ii) सि - 13 राज कुमार पासवान दोनों विहरा थाना रिजर्व जार्ड लिपाही थाना विहरा जिल्हा - परना

5. बरामद जप्त सामानों का विवरण :-
 10 वर्ग गज जो लोहे की बनी प्लेट पर सोन नदी का बालु लगे हुआ है। जो कार्य पल्ल हुआ उपलब्ध में है। जिसका लम्बाई -
 (i) लम्बाई - 71 फीट चौड़ाई - 21 फीट जिलह में सोन नदी का पील बालु लगे हुआ जप्त किया गया है।

6. गवाहों का हस्ताक्षर :- (1) सि 4816 राजेश कुमार

(2) सि. राज कुमार पासवान
 1382

7. पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-
 मुनेश कुमार भारती
 पा. 0 973079
 22/12/23
 विहरा थाना

स. पंचलौरिया अमना बाट सोन नदी स्थान वकास क्षेत्र विहरा

अप्ता सूचा

- ① प्रसंग :- विदरा पाना कांड नं० 1272/23 दि० - 21.12.23 धारा-
379/सा/353/120(B)/201 आद.वि.
- ② तिथि व समय :- 22.12.23 समय;
- ③ स्थान जहां से अप्त किया गया है :- पंचलौरिया अमना बाघ
खोन नदी किनारे वकाह क्षेत्र धान-विदरा
- ④ गवाहों के नाम व पता :- (i) लि०: 4516 राजेश कुमार (ii) लि० -
1382 राजकुमार धानबाग दोनो विदरा
धान रिजर्न गाँव सिपही धाना-विदरा
जिल्ला - पटना
- ⑤ वरामद अप्त समानों की विवरण :- कुल - 50 नाव जो लपेटे की
वनी है जिस पर खोन नदी का बालु लपटा हुआ
जिसमें 20 नाव जली हुई अवस्था में

- ① नाव ल० - 75 feet चौ० - 21 feet जिसपर अप्त खोन नदी का
किरवा हुआ - इंजन टूटा हुआ
- ② नाव ल० - 75 feet चौ० - 20 feet आधा ल० - 12 feet चौ० - 20 feet
- ③ नाव ल० - 75 feet चौ० - 21 feet इंजन टूटा हुआ
- ④ लकड़ी का धौरा नाव जो टूटा हुआ है।
- ⑤ नाव ल० - 70 feet चौ० - 20 feet आधा जल्ला हुआ
- ⑥ नाव ल० - 75 feet चौ० - 21 feet इंजन टूटा हुआ
- ⑦ नाव टूटा हुआ एक जल्ला हुआ
- ⑧ नाव ल० - 75 feet चौ० - 21 feet आधा जल्ला हुआ
- ⑨ नाव टूटा हुआ एक जल्ला हुआ
- ⑩ नाव ल० - 71 feet चौ० - 20 feet आधा जल्ला हुआ
- ⑪ नाव ल० - 70 feet चौ० - 20 feet आधा जल्ला हुआ
- ⑫ नाव ल० - 69 feet चौ० - 19 feet जल्ला हुआ
- ⑬ नाव ल० - 71 feet चौ० - 20 feet आधा जल्ला हुआ
- ⑭ टूटा हुआ एक जल्ला हुआ
- ⑮ नाव ल० - 70 feet चौ० - 20 feet आधा जल्ला हुआ
- ⑯ नाव ल० - 69 feet चौ० - 19 feet आधा जल्ला हुआ
- ⑰ नाव ल० - 71 feet चौ० - 21 feet आधा जल्ला हुआ
- ⑱ नाव ल० - 71 feet चौ० - 21 feet आधा जल्ला हुआ
- ⑲ नाव ल० - 71 feet चौ० - 21 feet आधा जल्ला हुआ



- (22) नाव का - 67, लॉन्ग - 19, इंजन हुआ हुआ
- (23) नाव का - 68, लॉन्ग - 19, इंजन हुआ हुआ
- (24) नाव का - 75, लॉन्ग - 21, इंजन हुआ हुआ
- (25) नाव आधा हुआ हुआ
- (26) नाव का - 71, लॉन्ग - 20, इंजन - 4E79 193
- (27) नाव आधा हुआ हुआ आधा हुआ हुआ
- (28) नाव का - 71, लॉन्ग - 20, इंजन - U021867 जयमा आधा हुआ
- (29) नाव आधा हुआ हुआ, जयमा आधा हुआ
- (30) नाव आधा हुआ हुआ इंजन हुआ हुआ (31) लॉन्ग - 71, लॉन्ग - 20, जयमा हुआ हुआ
- (32) नाव का - 71, लॉन्ग - 20, इंजन हुआ हुआ
- (33) नाव हुआ हुआ (34) हुआ हुआ (35) हुआ हुआ जयमा हुआ हुआ
- (36) नाव हुआ हुआ जयमा हुआ हुआ (37) हुआ हुआ जयमा हुआ हुआ
- (38) हुआ हुआ (39) हुआ हुआ जयमा हुआ हुआ (40) हुआ हुआ जयमा हुआ हुआ
- (39) जयमा हुआ हुआ (42) जयमा हुआ हुआ जयमा हुआ हुआ
- (43) हुआ हुआ (44) लॉन्ग - 72, लॉन्ग - 20, इंजन हुआ हुआ हुआ
- (45) हुआ हुआ (46) हुआ हुआ (47) हुआ हुआ जयमा हुआ हुआ
- (48) लॉन्ग - 75, लॉन्ग - 22, इंजन - 0023887
- (49) हुआ हुआ (50) हुआ हुआ जयमा हुआ हुआ

गवाही का हस्ताक्षर (1) सिधुशिव राजेश कुमार

(2) राज कुमार पांडेय
13892

(7) पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर -

मुनेश कुमार भारती
22.12.23
सी. पु. उ. नि.
विहटा जयमा परत

कैप - जयमा जयमा जयमा जयमा जयमा
विहटा जयमा जयमा जयमा



आपांक- 506 / 24

दिनांक- 29/01/2024

सेवा में,



पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह

वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय

पटना।

वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पटना के कार्यालय आपांक-
1083/गो0 दिनांक- 27.01.2024।

विषय:- दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक बालू
खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार,
एवं 40 बड़े नाव जप्त मामलों के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि
दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक बालू खनन सोन नदी
पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, एवं 40 बड़े नाव जप्त हुए
है। मनेर थाना, पटना के द्वारा दिनांक-22.12.2023 को सोन नदी में कोई
गिरफ्तारी एवं कोई नाव नहीं जप्त किया गया है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

29/1/24
पु० नि० सह-थानाध्यक्ष

मनेर थाना, पटना
पु० नि० सह थानाध्यक्ष
मनेर, पटना-पटना

जिला खनन कार्यालय, पटना

अवैध उत्खनन से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक का प्रगतिशील प्रतिवेदन

क्र.	माह का नाम	छापेमारी / जॉब की सं०	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जल्दी		बरूनी (लाख रु. में)			खनिज					अभ्युक्ति	
					स०	वाहन का प्रकार	कार्ट के आदेश सं जमा राशि	दण्ड	कुल	बालू (घनफीट में)	पत्थर (घनफीट में)	स्लॉन चिंस (घनफीट में)	मटल (घनफीट में)	स्लॉन डस्ट (घनफीट में)		मिट्टी (घनफीट में)
1	अप्रैल-2023	49	17	50	96	61-ट्रैक्टर 27-ट्रक / हाईवा 08-पोकलेन / जे०सी०बी० लोडर	26.75	96.89	123.64	26085	0	0	0	0	685	
2	मई-2023	63	20	15	171	137-ट्रैक्टर 34-ट्रक / हाईवा	57.57	114.25	171.82	45335	0	900	0	450	100	
3	जून-2023	42	22	1	102	61-ट्रैक्टर 39-ट्रक / हाईवा 2-लोडर / पोकलेन	73.40	52.45	125.85	32270	12200	0	0	0	570	
4	जुलाई-2023	38	30	0	85	40-ट्रैक्टर 43-ट्रक / हाईवा 2-पोकलेन	115.43	20.43	135.86	565355	0	0	0	0	2285	
5	अगस्त 2023	48	30	0	80	47-ट्रैक्टर 33-ट्रक / हाईवा / टीपर	54.02	39.32	93.34	17285	9950	0	0	1330	140	
6	सितम्बर-2023	52	24	0	80	47-ट्रैक्टर 32-ट्रक / हाईवा / टीपर 1-पोकलेन	55.97	67.19	123.16	13890	13750	0	0	0	600	
7	अक्टूबर-2023	40	19	8	60	27-ट्रैक्टर 32-ट्रक / हाईवा 1-लोडर	66.57	73.37	139.94	12935	11100	0	0	0	1980	

19

क्र	माह का नाम	छापमारी / जॉच की सं०	प्राथमिकी	गिरपतारी	जग्गी		धसूली (लाख रु में)			खनिज					अभ्युक्ति	
					रू०	वाहन का प्रकार	कोर्ट के आदेश से जमा राशि	दण्ड	कुल	वालू (घनफीट में)	पत्थर (घनफीट में)	स्टोन चिप्स (घनफीट में)	मटल (घनफीट में)	स्टोन डस्ट (घनफीट में)		मिट्टी (घनफीट में)
8	नवम्बर-2023	36	23	0	89	81-ट्रैक्टर 7-ट्रक / हाईवा 1-जे०सी०बी०	71.59	18.82	90.41	16995	600	0	0	0	0	
9	दिसम्बर 2023	80	51	1	158	124-ट्रैक्टर 32-ट्रक / हाईवा 2-पोकलेन / जे०सी०बी०	66.44	48.42	114.86	33010	5650	0	0	0	2980	
10	जनवरी-2024															
11	फरवरी-2024															
12	मार्च-2024															
कुल		448	236	75	921	625-ट्रैक्टर 279-ट्रक / हाईवा 17-पोकलेन / जे०सी०बी० लोडर	587.74	531.14	1118.88	763160	53250	900	0	1780	9330	

21/11/24
खनिज विकास पदाधिकारी
पटना



बिहार न्यायालय

पत्रांक _____ / खनन, पटना।

फोन नं० :- 0612-2219545(O), 2219097(R)

दिनांक: / / 2022

फैक्स नं०:- 0612 - 2218900 (Fax)

ई-मेल :- dm-patna.bih@nic.in

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा दायर सिविल अपील संख्या-3661-3662/2020 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम पवन कुमार एवं अन्य के मामले में दिनांक-10.11.2021 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में राज्यान्तर्गत अगले आदेश तक बिहार राज्य खनन निगम द्वारा संवेदक के माध्यम से बालू की खनन कर बिक्री किया जाना है। निगम द्वारा निविदा के माध्यम से संवेदक का चयन करते हुए बन्दोबस्त बालूघाटों का कार्यादेश निर्गत किया गया है। निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-207/एम0, पटना, दिनांक-18.01.2022 के निदेशानुसार अवैध खनन एवं परिवहन तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) संशोधन नियमावली, 2021 के नियम 56(6) के तहत खनन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को शामिल करते हुए अनुमण्डल स्तर पर धावादल का गठन किया जाना है।

उक्त के आलोक में अवैध खनन, प्रेषण, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु पटना जिले के सभी अनुमण्डलों में संबंधित अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी के नेतृत्व में निम्न रूप से धावा दल का गठन किया जाता है:-

क्र०	गठित धावा दल के सदस्य
01	संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला-पटना
02	संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला-पटना
03	जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, पटना
04	खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक, पटना
05	संबंधित अंचलाधिकारी/राजस्व कर्मचारी, जिला-पटना

गठित धावादल को अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक 15 दिन पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण तथा ओवरलोडिंग के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई करने हेतु निम्न निदेश दिया जाता है:-

1. पटना जिलान्तर्गत अपने प्रभाराधीन क्षेत्र में अवस्थित नदियों के बालूघाटों से बालू का अवैध खनन, प्रेषण, परिवहन एवं भण्डारण न हो इसके लिए जाँच/छापामारी करते हुए अवैध खनन, प्रेषण, भण्डारण में संलिप्त मशीनों/वाहनों यथा पोकलेन मशीन, जे0सी0बी0, हाईवा, ट्रक, ट्रैक्टर तथा अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रावधानों के तहत त्वरित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
2. लघु खनिज लदे वाहनों के ई-चालान की वैधता की जांच खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के बेवसाईट <http://www.biharmines.in> पर verify challan से किया जाय। ओवरलोडिंग/अवैध ई-चालान के साथ परिवहन कर रहे वाहनों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।
3. बिहार गजट में प्रकाशित परिवहन विभाग का अधिसूचना दिनांक-16.12.2020 में 14 चक्कों या उससे अधिक चक्कों के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी का उठाव एवं परिवहन के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। उक्त के आलोक में किसी भी परिस्थिति में 14 चक्कों या उससे अधिक चक्कों के ट्रकों पर बालू/गिट्टी लदे वाहनों का परिवहन न हो यह सुनिश्चित किया जाय।
4. गंगा नदी/सोन नदी में किसी भी परिस्थिति में अवैध बालू लदे नाव का परिचालन न हो इसे सुनिश्चित किया जाय। साथ ही दीघा पुल एवं कोईलवर पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रतिबंधित क्षेत्रों में तथा मनेर थानान्तर्गत शेरपुर के पास गंगा नदी में नाव द्वारा बालू की अवैध निकासी न हो, इस पर स्थानीय थाना द्वारा सतत निगरानी रखी जाय तथा उल्लंघन पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाय।

68

साथ ही गठित धावा दल को निदेश दिया जाता है कि अपने प्रभाराधीन क्षेत्र में अवस्थित नदियों बालूघाटों से बालू का अवैध खनन, प्रेषण, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग न हो इस संबंध में सभी आवश्यक निरोधात्मक कारवाई के लिए लगातार छापामारी की जाये तथा उल्लंघन की स्थिति में अपने स्तर से त्वरित कारवाई करते हुए तत्क्षण प्राथमिकी दर्ज की जाय एवं कृत कारवाई का प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय, ताकि विभागीय निदेश का अनुपालन किया जा सके।


ह0/-
समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक-.....244...../एम, पटना, दिनांक-27/1/22.....

प्रतिलिपि:- गठित धावादल के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।


समाहर्ता,
पटना।

X

जिला खनन कार्यालय, पटना

(कमरा सं०-13.14 एवं 15, ट्रांजिट हॉस्टल, वीरचंद पटेल पथ, पटना-01)

पत्रांक:- 1450 / एम.

पटना, दिनांक:- 31/5/22

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
पटना।

सेवा में,

सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी,
सभी संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,
सभी संबंधित अंचलाधिकारी,
सभी संबंधित थानाध्यक्ष,
जिला-पटना।

विषय:- बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर पूर्ण रोक लगाने के संबंध में।

प्रसंग:- अपर मुख्य सचिव महोदया, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2466/एम0, पटना,
दिनांक-30.03.2022

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-3661-3662/2020, दिनांक-10.11.2021, दिनांक-18.01.2022 एवं दिनांक-31.03.2022 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में राज्यान्तर्गत बालू खनन हेतु बिहार राज्य खनन निगम द्वारा नियुक्त संवेदकों की संविदा अवधि दिनांक-31.05.2022 को समाप्त होने के उपरांत दिनांक-01.06.2022 से बालू खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा पाया गया है कि बरसात के मौसम नजदीक आने पर अवैध खनन की घटनाएँ बढ़ जाती है संवेदकों द्वारा अवैध रूप से निर्धारित क्षेत्र से बाहर अथवा कैंपिंग से अधिक खनन कर बालू का भंडारण किये जाने की भी आशंका रहती है। बालूघाटों का संचालन बन्द रहने के दौरान बालू के अवैध खनन से न केवल सरकारी राजस्व की क्षति होती है बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विदित है कि पूर्ववत् में समाहर्ता महोदय के आदेश ज्ञापांक-244, दिनांक-27.01.2022 द्वारा पटना जिलान्तर्गत लघु खनिज यथा बालू/मिट्टी/पत्थर का अवैध खनन/प्रेषण, परिवहन एवं भण्डारण न हो इस हेतु धावा दल गठित है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त के आलोक में आपके स्तर से ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आप सभी से अनुरोध है कि पटना जिलान्तर्गत अवस्थित नदियों के बालूघाटों से बालू का खनन न हो, इस हेतु अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले नदियों के बालूघाटों की दिन एवं रात में सघन पेट्रोलिंग करते हुए सतत निगरानी रखी जाय, ताकि किसी भी परिस्थिति में अवैध उत्खनन कर्ताओं के द्वारा बालू का अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नहीं किया जा सके। असमाजिक तत्वों/अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की कृपा की जाय कि बालू के संवेदक द्वारा बालूघाट क्षेत्र में भी प्रकार की मशीनरी आदि न हो। इसे राजस्वहित में गम्भीरतापूर्वक लिया जाय तथा अवैध खनन/प्रेषण, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन समाहर्ता महोदय एवं जिला खनन कार्यालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


31-05-22
खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
पटना।



पत्रांक _____ / खनन, पटना।

फोन नं० :- 0612-2219545(O), 2219097(R)

दिनांक: / / 2022

फैक्स नं०:- 0612 - 2218900 (Fax)

ई-मेल :- dm-patna.bih@nic.in

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा दायर सिविल अपील संख्या-3661-3662/2020 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम पवन कुमार एवं अन्य के मामले में दिनांक-10.11.2021 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में राज्यान्तर्गत अगले आदेश तक बिहार राज्य खनन निगम द्वारा संवेदक के माध्यम से बालू की खनन कर बिक्री किया जाना है। निगम द्वारा निविदा के माध्यम से संवेदक का चयन करते हुए बन्दोबस्त बालूघाटों का कार्यादेश निर्गत किया गया है। निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-207/एम0, पटना, दिनांक-18.01.2022 के निदेशानुसार अवैध खनन एवं परिवहन तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) संशोधन नियमावली, 2021 के नियम 56(6) के तहत खनन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को शामिल करते हुए अनुमण्डल स्तर पर धावादल का गठन किया जाना है।

उक्त के आलोक में अवैध खनन, प्रेषण, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु पटना जिले के सभी अनुमण्डलों में संबंधित अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी के नेतृत्व में निम्न रूप से धावा दल का गठन किया जाता है:-

क्र०	गठित धावा दल के सदस्य
01	संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला-पटना
02	संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला-पटना
03	जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, पटना
04	खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक, पटना
05	संबंधित अंचलाधिकारी/राजस्व कर्मचारी, जिला-पटना

गठित धावादल को अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक 15 दिन पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण तथा ओवरलोडिंग के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई करने हेतु निम्न निदेश दिया जाता है:-

1. पटना जिलान्तर्गत अपने प्रभाराधीन क्षेत्र में अवस्थित नदियों के बालूघाटों से बालू का अवैध खनन, प्रेषण, परिवहन एवं भण्डारण न हो इसके लिए जाँच/छापामारी करते हुए अवैध खनन, प्रेषण, भण्डारण में संलिप्त मशीनों/वाहनों यथा पोकलेन मशीन, जे०सी०बी०, हाईवा, ट्रक, ट्रैक्टर तथा अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रावधानों के तहत त्वरित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
2. लघु खनिज लदे वाहनों के ई-चालान की वैधता की जांच खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के बेवसाईट <http://www.biharmines.in> पर verify challan से किया जाय। ओवरलोडिंग/अवैध ई-चालान के साथ परिवहन कर रहे वाहनों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।
3. बिहार गजट में प्रकाशित परिवहन विभाग का अधिसूचना दिनांक-16.12.2020 में 14 चक्कों या उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी का उठाव एवं परिवहन के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। उक्त के आलोक में किसी भी परिस्थिति में 14 चक्के या उससे अधिक चक्कों के ट्रकों पर बालू/गिट्टी लदे वाहनों का परिवहन न हो यह सुनिश्चित किया जाय।
4. गंगा नदी/सोन नदी में किसी भी परिस्थिति में अवैध बालू लदे नाव का परिचालन न हो इसे सुनिश्चित किया जाय। साथ ही दीघा पुल एवं कोईलवर पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रतिबंधित क्षेत्रों में तथा मनेर थानान्तर्गत शेरपुर के पास गंगा नदी में नाव द्वारा बालू की अवैध निकासी न हो, इस पर स्थानीय थाना द्वारा सतत निगरानी रखी जाय तथा उल्लंघन पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाय।

साथ ही गठित धावा दल को निदेश दिया जाता है कि अपने प्रभाराधीन क्षेत्र में अवस्थित नदियों के बालूघाटों से बालू का अवैध खनन, प्रेषण, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग न हो इस संबंध में सभी आवश्यक निरोधात्मक कारवाई के लिए लगातार छापामारी की जाये तथा उल्लंघन की स्थिति में अपने स्तर से त्वरित कारवाई करते हुए तत्क्षण प्राथमिकी दर्ज की जाय एवं कृत कारवाई का प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय, ताकि विभागीय निदेश का अनुपालन किया जा सके।

ह0/-
समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक-.....244...../एम०, पटना, दिनांक-27/1/22.....

प्रतिलिपि:- गठित धावादल के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।


समाहर्ता,
पटना।

जिला खनन कार्यालय, पटना

(कमरा सं०-13,14 एवं 15, ट्रेडिग हॉस्टल, बीरबंद पटेल पथ, पटना-01)

पत्रांक:- 1161/स्म.

पटना, दिनांक:- 31-3-23

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
पटना।

सेवा में,

सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी,
सभी संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,
सभी संबंधित अंचलाधिकारी,
सभी संबंधित थानाध्यक्ष,
जिला- पटना।

विषय:- बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर पूर्ण रोक लगाने के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1800/स्म०, पटना, दिनांक-31.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-3661-3662/2020 में दिनांक-15.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य खनन निगम द्वारा नियुक्त संवेदकों के माध्यम से दिनांक-31.03.2023 तक बालू खनन की अनुमति दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक-23.03.2023 को पारित आदेश से बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से बालू खनन की अवधि को दिनांक-30.06.2023 तक विस्तारित की गयी है। निगम के संवेदकों को वांछित राशि भुगतान करने के पश्चात् ही बालूघाटों के संचालन की अनुमति दी जायेगी। दिनांक-31.03.2023 के पश्चात् संवेदकों को बालू खनन की अनुमति/आदेश दिये जाने तक बालूघाटों से खनन/प्रेषण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

विदित है कि पूर्ववत् में समाहर्ता महोदय के आदेश ज्ञापक-244, दिनांक-27.01.2022 द्वारा पटना जिलान्तर्गत लघु खनिज यथा बालू/गिट्टी/पत्थर का अवैध खनन/प्रेषण, परिवहन एवं भण्डारण न हो इस हेतु धावा दल गठित है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त के आलोक में आपके स्तर से ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आप सभी से अनुरोध है कि दिनांक-31.03.2023 के पश्चात् विस्तारित अवधि का कार्यादेश निर्गत होने तक पटना जिलान्तर्गत अवस्थित नदियों के बालूघाटों से किसी प्रकार का अवैध खनन/प्रेषण न हो, इस हेतु अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले नदियों के बालूघाटों की दिन एवं रात में सघन पेट्रोलिंग करते हुए रात में निगरानी रखी जाय, ताकि किसी भी परिस्थिति में अवैध उत्खननकर्ताओं के द्वारा बालू का अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नहीं किया जा सके। असमाजिक तत्वों/अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की कृपा की जाय कि बालू के संवेदक द्वारा बालूघाट क्षेत्र में भी किसी प्रकार की मशीनरी आदि न हो एवं जिन बालूघाटों के लिए संवेदकों का चयन नहीं हुआ है, उन बालूघाटों से भी अवैध खनन एवं परिवहन की संभावना के मद्देनजर विशेष निगरानी की व्यवस्था करते हुए इसे सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। इसे राजस्व हेतु में गम्भीरतापूर्वक लिया जाय तथा अवैध खनन/प्रेषण, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन समाहर्ता महोदय एवं जिला खनन कार्यालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वरामभक्तन

खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
पटना

XB



पत्रांक _____ / खनन, पटना।

फोन नं० :- 0612-2219545(O), 2219097(R)

दिनांक: / / 2022

फैक्स नं०:- 0612 - 2218900 (Fax)

ई-मेल :- dm-patna.bih@nic.in

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा दायर सिविल अपील संख्या-3661-3662/2020 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम पवन कुमार एवं अन्य के मामले में दिनांक-10.11.2021 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में राज्यान्तर्गत अगले आदेश तक बिहार राज्य खनन निगम द्वारा संवेदक के माध्यम से बालू की खनन कर बिक्री किया जाना है। निगम द्वारा निविदा के माध्यम से संवेदक का चयन करते हुए बन्दोबस्त बालूघाटों का कार्यादेश निर्गत किया गया है। निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-207/एम0, पटना, दिनांक-18.01.2022 के निदेशानुसार अवैध खनन एवं परिवहन तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) संशोधन नियमावली, 2021 के नियम 56(6) के तहत खनन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को शामिल करते हुए अनुमण्डल स्तर पर धावादल का गठन किया जाना है।

उक्त के आलोक में अवैध खनन, प्रेषण, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु पटना जिले के सभी अनुमण्डलों में संबंधित अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी के नेतृत्व में निम्न रूप से धावा दल का गठन किया जाता है:-

क्र०	गठित धावा दल के सदस्य
01	संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला-पटना
02	संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला-पटना
03	जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, पटना
04	खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक, पटना
05	संबंधित अंचलाधिकारी/राजस्व कर्मचारी, जिला-पटना

गठित धावादल को अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक 15 दिन पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण तथा ओवरलोडिंग के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई करने हेतु निम्न निदेश दिया जाता है:-

- पटना जिलान्तर्गत अपने प्रभाराधीन क्षेत्र में अवस्थित नदियों के बालूघाटों से बालू का अवैध खनन, प्रेषण, परिवहन एवं भण्डारण न हो इसके लिए जाँच/छापामारी करते हुए अवैध खनन, प्रेषण, भण्डारण में संलिप्त मशीनों/वाहनों यथा पोकलेन मशीन, जे0सी0वी0, हाईवा, ट्रक, ट्रैक्टर तथा अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रावधानों के तहत त्वरित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- लघु खनिज लदे वाहनों के ई-चालान की वैधता की जांच खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के वेबसाइट <http://www.biharmines.in> पर verify challan से किया जाय। ओवरलोडिंग/अवैध ई-चालान के साथ परिवहन कर रहे वाहनों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।
- बिहार गजट में प्रकाशित परिवहन विभाग का अधिसूचना दिनांक-16.12.2020 में 14 चक्कों या उससे अधिक चक्कों के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी का उठाव एवं परिवहन के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। उक्त के आलोक में किसी भी परिस्थिति में 14 चक्कों या उससे अधिक चक्कों के ट्रकों पर बालू/गिट्टी लदे वाहनों का परिवहन न हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- गंगा नदी/सोन नदी में किसी भी परिस्थिति में अवैध बालू लदे नाव का परिचालन न हो इसे सुनिश्चित किया जाय। साथ ही दीघा पुल एवं कोईलवर पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रतिबंधित क्षेत्रों में तथा मनेर थानान्तर्गत शेरपुर के पास गंगा नदी में नाव द्वारा बालू की अवैध निकासी न हो, इस पर स्थानीय थाना द्वारा सतत निगरानी रखी जाय तथा उल्लंघन पाये जाने पर दौषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाय।

7X

साथ ही गठित धावा दल को निदेश दिया जाता है कि अपने प्रभाराधीन क्षेत्र में अवस्थित नदियों के बालूघाटों से बालू का अवैध खनन, प्रेषण, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग न हो इस संबंध में सभी आवश्यक निरोधात्मक कारवाई के लिए लगातार छापामारी की जाये तथा उल्लंघन की स्थिति में अपने स्तर से त्वरित कारवाई करते हुए तत्क्षण प्राथमिकी दर्ज की जाय एवं कृत कारवाई का प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय, ताकि विभागीय निदेश का अनुपालन किया जा सके।

ह0/-
समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक- 244 / एम. पटना, दिनांक- 27/1/22

प्रतिलिपि:- गठित धावादल के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।


समाहर्ता,
पटना।

जिला खनन कार्यालय, पटना

(कमरा सं०-13,14 एवं 15, ट्रेजिडर हॉस्टल, वीरचंद पटेल पथ, पटना-01)

पत्रांक:- 1968 / एम.,

पटना, दिनांक:- 30.6.23

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
पटना।

सेवा में,

सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी,
सभी संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,
सभी संबंधित अंचलाधिकारी,
सभी संबंधित थानाध्यक्ष,
जिला-पटना।

विषय:- पटना जिलान्तर्गत बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण रोक लगाने एवं भण्डारण अनुज्ञप्ति पर निगरानी के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3268/एम0, पटना, दिनांक-23.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-3661-3662/2020 में दिनांक-28.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य खनन निगम द्वारा नियुक्त संवेदकों के माध्यम से दिनांक-30.06.2023 तक बालू खनन की अनुमति दी गयी है। दिनांक-01.07.2023 के पश्चात् संवेदकों को बालू खनन की अनुमति/आदेश दिये जाने तक बालूघाटों से खनन/प्रेषण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

विदित है कि पूर्ववत् में समाहर्ता महोदय के आदेश ज्ञापांक-244, दिनांक-27.01.2022 द्वारा पटना जिलान्तर्गत लघु खनिज यथा बालू/मिट्टी/पत्थर का अवैध खनन/प्रेषण, परिवहन एवं भण्डारण न हो इस हेतु धावा दल गठित है (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त के आलोक में आपके स्तर से ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। अतः दिनांक-30.06.2023 के पश्चात् बालूघाटों से किसी प्रकार का अवैध खनन/प्रेषण न हो यह सुनिश्चित कराया जाय। इस हेतु आप सभी से अनुरोध है कि पटना जिलान्तर्गत अवस्थित नदियों के बालूघाटों से बालू का खनन न हो, इस हेतु अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले नदियों के बालूघाटों की दिन एवं रात में सघन पेट्रोलिंग करते हुए सतत निगरानी रखी जाय, ताकि किसी भी परिस्थिति में अवैध उत्खनन कर्ताओं के द्वारा बालू का अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नहीं किया जा सके। असमाजिक तत्वों/अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की कृपा की जाय कि बालू के संवेदक द्वारा बालूघाट क्षेत्र में भी प्रकार की मशीनरी आदि न हो। इसे राजस्वहित में गम्भीरतापूर्वक लिया जाय तथा अवैध खनन/प्रेषण, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन समाहर्ता महोदय एवं जिला खनन कार्यालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


30.6.23
खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
पटना।

जिला खनन कार्यालय, पटना

अवैध उत्खनन से संबंधित वित्तीय वर्ष 2022-23 में मार्च 2023 तक का प्रगतिशील प्रतिवेदन

(संशोधित) 76

क्र.	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की सं०	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जब्त		वसूली (लाख रु. में)			खनिज						अभ्युक्ति	
					सं०	वाहन का प्रकार	कोर्ट के आदेश से जमा राशि	दण्ड	कुल	बालू (घनफीट में)	पत्थर (घनफीट में)	स्टोन चिप्स (घनफीट में)	मेटल (घनफीट में)	स्टोन डस्ट (घनफीट में)	मिट्टी (घनफीट में)		ईट
1	अप्रैल-2022	31	10	23	82	18-ट्रैक्टर 17-पोकलेन 2-जे०सी०बी० 36-ट्रक/ हाईवा 7-पिकअप 1-टीपर 1-नाव	14.17	61.82	75.99	20825	5450	0	0	0	1060	0	
2	मई-2022	56	2	0	128	55-ट्रैक्टर 5-पोकलेन 1-जे०सी०बी० 63-ट्रक/ हाईवा 4-पिकअप	24.61	134.30	158.91	51125	3380	0	0	0	0	1000	
3	जून-2022	42	22	8	89	55-ट्रैक्टर 2-पोकलेन 8-जे०सी०बी० 12-ट्रक/ हाईवा 4-पिकअप 1-टीपर 7-मोटरसाईकि ल	25.87	45.34	71.21	14890	700	0	0	0	780	0	
4	जुलाई-2022	43	22	6	116	80-ट्रैक्टर 1-जे०सी०बी० 32-ट्रक/ हाईवा 3-लोडर	29.18	58.50	87.68	22860	1800	0	0	1970	300	0	

क्रं.	माह का नाम	छापेमारी/ जाँच की सं०	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जब्दी		वसूली (लाख रु. में)			खनिज						इंत	वृत्ति
					सं०	वाहन का प्रकार	कोर्ट के आदेश से जमा राशि	दण्ड	कुल	बालू (घनफीट में)	पत्थर (घनफीट में)	स्टोन चिप्स (घनफीट में)	मेटल (घनफीट में)	स्टोन डस्ट (घनफीट में)	मिट्टी (घनफीट में)		
5	अगस्त 2022	40	21	4	112	81-ट्रैक्टर 2-जे०सी०बी० 24-ट्रक/ हाईवा 1-लोडर 3-टेलर 1-डी०सी०एम०	52.83	41.88	94.71	93505	2000	700	0	0	0	0	
6	सितम्बर-2022	39	10	1	105	86-ट्रैक्टर 19-ट्रक/ हाईवा	23.97	65.32	89.29	17255	3900	0	0	0	0	0	
7	अक्टूबर-2022	29	4	2	73	44-ट्रैक्टर 21-ट्रक/ हाईवा 8-पोकलेन	181.10	51.25	232.35	17325	800	0	0	0	600	0	
8	नवम्बर-2022	82	9	61	231	207-ट्रैक्टर 17-ट्रक/ हाईवा 1-पोकलेन 3-टीपर 3-नाव	18.93	126.13	145.06	37055	350	0	0	0	0	0	
9	दिसम्बर-2022	45	3	3	82	61-ट्रैक्टर 20-ट्रक/ हाईवा 1-पिकअप	13.46	196.62	210.08	253959	625	0	0	0	0	0	
10	जनवरी-2023	62	11	4	119	58-ट्रैक्टर 58-ट्रक/ हाईवा 1-पोकलेन 2-जे०सी०बी०	15.85	151.34	167.19	47180	2500	0	0	0	1400	0	

क्र.	वर्ष का नाम	छापेमारी / जाँच की सं०	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जब्ती		वसूली (लाख रु. में)			खनिज						अभ्युक्ति	
					सं०	वाहन का प्रकार	कोर्ट के आदेश से जमा राशि	दण्ड	कुल	बालू (घनफीट में)	पत्थर (घनफीट में)	स्टोन चिप्स (घनफीट में)	मेटल (घनफीट में)	स्टोन डस्ट (घनफीट में)	मिट्टी (घनफीट में)		ईंट
11	फरवरी-2023	69	10	7	140	80-ट्रैक्टर 53-ट्रक / हाईवा 4-जे०सी०बी० 2-पिकअप 1-टीपर	52.19	142.84	195.03	51827	2150	950	0	0	160	0	
12	मार्च-2023	49	10	23	100	51 ट्रैक्टर 44 ट्रक / हाईवा 2 लोडर 3 नाव	48.95	67.21	116.16	39480	750	0	0	0	635		
	कुल	587	134	142	1377	876-ट्रैक्टर 399-ट्रक / हाईवा 34-पोकलेन 20-जे०सी०बी० 18-पिकअप 6-टीपर 7-नाव 7-मोटरसाईकि ल 6-लोडर 3-टेलर 1-डी०सी०एम०	501.11	1142.55	1643.66	667286	24405	1650	0	1970	4935	1000	

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।

~~78~~
जिला खनन कार्यालय, पटना

अवैध उत्खनन से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12 मार्च 2024 तक का प्रगतिशील प्रतिवेदन

क्र.	माह का नाम	छापेमारी / जाँच की सं०	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जक्की		वसूली (लाख रु. में)			खनिज					अभ्युक्ति	
					सं०	वाहन का प्रकार	कोर्ट के आदेश से जमा राशि	दण्ड	कुल	बालू (घनफीट में)	पत्थर (घनफीट में)	स्टोन चिप्स (घनफीट में)	मेटल (घनफीट में)	स्टोन डस्ट (घनफीट में)		मिट्टी (घनफीट में)
1	अप्रैल-2023	49	17	50	96	61-ट्रैक्टर 27-ट्रक / हाईवा 08-पोकलेन / जे०सी०बी० लोडर	26.75	96.89	123.64	26085	0	0	0	0	685	
2	मई-2023	63	20	15	171	137-ट्रैक्टर 34-ट्रक / हाईवा	57.57	114.25	171.82	45335	0	900	0	450	100	
3	जून-2023	42	22	1	102	61-ट्रैक्टर 39-ट्रक / हाईवा 2-लोडर / पोकलेन	73.40	52.45	125.85	32270	12200	0	0	0	570	
4	जुलाई-2023	38	30	0	85	40-ट्रैक्टर 43-ट्रक / हाईवा 2-पोकलेन	115.43	20.43	135.86	565355	0	0	0	0	2285	
5	अगस्त 2023	48	30	0	80	47-ट्रैक्टर 33-ट्रक / हाईवा / टीपर	54.02	39.32	93.34	17285	9950	0	0	1330	130	
6	सितम्बर-2023	52	24	0	80	47-ट्रैक्टर 32-ट्रक / हाईवा / टीपर 1-पोकलेन	55.97	67.19	123.16	13890	13750	0	0	0	600	
7	अक्टूबर-2023	40	19	8	60	27-ट्रैक्टर 32-ट्रक / हाईवा 1-लोडर	66.57	73.37	139.94	12935	11100	0	0	0	1980	
8	नवम्बर-2023	36	23	0	89	81-ट्रैक्टर 7-ट्रक / हाईवा 1-जे०सी०बी०	71.59	18.82	90.41	16995	600	0	0	0	0	

क्रं.	माह का नाम	छापेमारी / जाँच की सं०	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जक्की		वसूली (लाख रु. में)			खनिज						अभ्युक्ति
					सं०	वाहन का प्रकार	कोर्ट के आदेश से जमा राशि	दण्ड	कुल	बालू (घनफीट में)	पत्थर (घनफीट में)	स्टोन चिप्स (घनफीट में)	मेटल (घनफीट में)	स्टोन डस्ट (घनफीट में)	मिट्टी (घनफीट में)	
9	दिसम्बर-2023	80	51	1	158	124-ट्रैक्टर 32-ट्रक / हाईवा 2-पोकलेन / जे०सी०बी०	66.44	48.42	114.86	33010	5650	0	0	0	2980	
10	जनवरी-2024	86	23	0	153	45-ट्रैक्टर 105-ट्रक / हाईवा 3-पोकलेन / जे०सी०बी०	98.05	172.93	270.98	60260	20050	0	0	0	0	
11	फरवरी-2024	102	25	2	233	111-ट्रैक्टर 116-ट्रक / हाईवा 4-पोकलेन / जे०सी०बी० 2-पीकअप	51.67	164.58	216.25	75270	10764.68	0	0	0	0	
12	01 मार्च-2024 से 12 मार्च 2024 तक	52	9	0	87	52-ट्रैक्टर 35-ट्रक / हाईवा	33.69	82.43	116.12	28390	550	0	0	0	0	
	कुल	688	293	77	1394	781-ट्रैक्टर 500-ट्रक / हाईवा 24-पोकलेन / जे०सी०बी० लोडर 2-पीकअप	771.15	951.08	1722.23	927080	84615	900	0	1780	9330	

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।

जिला खनन कार्यालय, पटना

Email Id:- admpatna1111@gmail.com
(कमरा सं-13, 14 एवं 15, ट्रांजिट हॉस्टल, वीरचंद पटेल पथ, पटना-1)

पत्रांक:- 315 / एम.

पटना, दिनांक:- 31.1.24

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

विषय:- O.A. No. 108/2024/PB, Suo Muto Matter: News item appearing in "Down to Earth" dated 22-12-2023 Title "Sand mining: 20 arrested, 40 big boats seized in Bihar Police operation on Sone River." के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली के द्वारा लिए गए संज्ञान का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग:- सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के पत्रांक-204, पटना, दिनांक-24.01.2024 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, पटना के ज्ञापांक-1131/गो0, पटना, दिनांक-24.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में सादर पूर्वक कहना है कि 'Down to Earth' में दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित खबर "बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, 40 बड़े नाव जप्त" मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक-05.02.2024 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फरिदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में सुनवाई हेतु मामला सूचीबद्ध है, से संबंधित प्रतिवेदन निम्नलिखित है:-

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उक्त मामले से संबंधित परि0पु0नि0 श्री राहुल कुमार, बिहटा थाना, जिला-पटना द्वारा बहटा थानान्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या-5117008231272, दिनांक-22.12.2023 में उल्लेखित है कि "नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, पटना के आदेश ज्ञापांक-1934(ए)/गो0, दिनांक-06.11.2023 के आलोक में दिनांक-21.12.2023 प्रातः 06:00 बजे ग्राम अमनाबाद, पथलौटिया गांव में अवैध बालू खनन के विरुद्ध छापेमारी में बी0एम0पी0 सशस्त्र बल एवं चौकिदार के साथ प्रस्थान किया गया। समय लगभग 11:30 बजे ग्राम-पथलौटिया अमनाबाद सोन दियारा इलाके के बकास क्षेत्र पहुंचे तो देखे कि करीब 40-50 नाव के साथ करीब 100-150 व्यक्ति बालू माफिया से मिलकर सोन नदी से अवैध बालू का खनन कर नाव से ले जा रहे थे। जिसकी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को दिया गया।

➤ सूचना पर थानाध्यक्ष महोदय परि0पु0अ0नि0 नितीश कुमार, परि0पु0अ0नि0 प्रवीण कुमार, स0अ0नि0 जय कुमार प्रसाद, स0अ0नि0 अर्जुन सिंह एवं सशस्त्र बल के सिपाही के साथ करीब 14:45 बजे पहुंच गये। थानाध्यक्ष महोदय के सूचना पर सीमावर्ती थाने से भी पुलिस पदाधिकारी एवं बल आये उपरोक्त छापेमारी दल के सहयोग से पथलौटिया अमनाबाद सोन दियारा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बालू खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों को घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम से सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कुल 40 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़ाये सभी नाव पर सवार कुल 20 व्यक्तियों को उतारकर पुलिस अभिरक्षा में लेकर नाम एवं पता का पृच्छा किया गया।

➤ तत्पश्चात् पकड़ाये गये लोग एवं नावों को विधिवत् जप्ती करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जाने लगा तो इस कार्रवाई को देखकर सोन नदी में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के द्वारा आपस में वर्चस्व एवं पुलिस की कर्रवाई में व्यवधान एवं साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए सोन नदी के मुख्य धारा में लगे नाव में आग लगा दिये, ताकि सोन नदी के मुख्य धारा का रास्ता अवरुद्ध हो जाय। काफी मशकत एवं प्रयास के बाद बालू माफिया के द्वारा नाव में लगाए गए आग पर स्थानीय लोगों एवं पुलिस बल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया एवं सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त पकड़ाये गये लोहे की

82

बनी कुल 40 बड़ी नावों जिसपर सोन नदी से अवैध बालू खनन कर लोड किया गया है, को चेक किया गया तो कुदाल एवं बाल्टी पाया गया। तत्पश्चात् उक्त 40 नावों एवं उसपर रखे कुल 25 कुदाल तथा 20 बाल्टी को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया।

➤ जप्त सभी 40 नावों में से लगभग 10 नावे जली हुई अवस्था में है। जप्त की गई नावों को लाने का हरसंभव प्रयास किया गया लेकिन पथलौटिया अमनाबाद के बकास एरिया में फंस जाने के कारण वहां से नहीं लाया जा सका, तब नावों को घटनास्थल के पास ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। पकड़ाये गये सभी 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया।"

➤ साथ ही उक्त दर्ज प्राथमिकी में यह भी उल्लेखित है कि गिरफ्तार 20 व्यक्तियों एवं जप्त 40 नाव मालिकों तथा अज्ञात 40-50 लोगों के विरुद्ध परि0पु0नि0 श्री राहुल कुमार, बिहटा थाना, जिला-पटना द्वारा बिहटा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसका काण्ड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.2023 है (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न)।

➤ इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उक्त कार्रवाई के आलोक में भवदीय पत्रांक-283/एम0, दिनांक-27.01.2024 द्वारा इससे संबंधित प्रतिवेदन की मांग वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से की गई थी, जिसके आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1156/गो0, पटना, दिनांक-30.01.2024 द्वारा थानाध्यक्ष, बिहटा थाना का डी0आर0 संख्या-520/24, दिनांक-29.01.2024 एवं थानाध्यक्ष, मनेर थाना का ज्ञापांक-506/24, दिनांक-29.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन को संलग्न कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नलिखित है-

➤ बिहटा थाना के प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि:-

"बिहार पुलिस मुख्यालय (विधि-व्यवस्था प्रभाग) पटना के पत्र संख्या-बल/01-बल-2015 (Voll-III/424, दिनांक-01.11.2023 तदोपरान्त वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश ज्ञापांक-10548/गो0, दिनांक-02.11.2023 के द्वारा अवैध बालू उत्खनन की रोकथाम एवं संलिप्त अपराधियों/आरोपितों के विरुद्ध आसूचना संकलन कर कारगर प्रभावकारी छापेमारी हेतु अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए बिहार सशस्त्र बल-1 पटना के साथ पु0नि0 मनोज कुमार, पु0नि0 रौशन कुमार, पु0नि0 राजीव कुमार, पु0नि0 धीरेन्द्र कुमार, पु0नि0 मुमताज अंसारी, पु0अ0नि0 नितीश कुमार, पु0अ0नि0 राहुल कुमार, पु0अ0नि0 प्रवीण कुमार, पु0अ0नि0 संभव कुमार, स0अ0नि0 हेमन्त कुमार, स0अ0नि0 संतोष कुमार सिंह, स0अ0नि0 मो0 आजाद खॉं, स0अ0नि0 अभय किशोर पाण्डेय, स0अ0नि0 राम सुदिष्ट कुमार, स0अ0नि0 धर्मन्द्र कुमार को रोस्टर में प्रतिनियुक्त किया गया था। दिनांक-22.12.2023 को सूचना मिली की अमनाबाद पथलौटिया सोन नदी के बकास दियारा क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा नाव के माध्यम से अवैध बालू खनन कर रहे हैं। जिसकी सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवैध बालू खनन एवं परिवहन में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के साथ छापेमारी कर कुल 40 बड़ी नाव सहित अवैध बालू खनन में संलिप्त 20 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 40 बड़ी नावों को जप्त किया गया। जिसके संबंध में बिहटा थाना काण्ड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.2023, धारा-379/411/353/120(बी0)/201 भा0द0वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार 20 व्यक्तियों एवं जप्त 40 नावों के मालिकों तथा अज्ञात 40-50 लोग के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। गिरफ्तार सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं जप्त नावों के अधिहरण हेतु बिहटा थाना ज्ञापांक-256/24, दिनांक-16.01.2024 के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी महोदय, पटना को प्रतिवेदन भेजा गया है। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है (प्राथमिकी एवं जप्ती सूची की सच्ची प्रति एवं अधिहरण प्रस्ताव की सच्ची प्रति संलग्न)।"

➤ मनेर थाना के प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि:-

"दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समचार का शीर्षक बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार एवं 40 बड़े नाव जप्त हुए हैं। मनेर थाना, पटना के द्वारा

8X3

दिनांक-22.12.2023 को सोन नदी में कोई गिरफ्तारी एवं कोई नाव जप्त नहीं किया गया है।'

➤ अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दिनांक- 01.04.2023 से दिनांक-31.12.2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जॉच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	01 अप्रैल 2023 से 30 दिसम्बर 2023 तक	448	236	75	921	1118.88

➤ जिला खनन कार्यालय, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह- अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जॉच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक	587	134	142	1377	1643.66

➤ पटना जिला के बिहटा थानान्तर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जॉच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक	70	32	39	283	311.62

➤ पटना जिला के बिहटा थानान्तर्गत अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र० सं०	माह का नाम	छापेमारी/ जॉच की संख्या	प्राथमिकी	गिरफ्तारी	जप्त वाहनों की संख्या	किए गए जुर्माना की वसूली (लाख रू० में)
1	अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक	51	46	47	247	111.47

उक्त के अलावे बिहटा थानान्तर्गत बिहार सशस्त्र बल-1 के जवानों के साथ की गई संयुक्त कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	गिरफ्तारी	जप्त वाहन	जप्त अन्य सामान
01	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1067/23, दिनांक-01.11.2023, धारा-379/411/201 भा०द०वि०	-	-	मोबाईल-02
02	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1068/23, दिनांक-01.11.2023, धारा-379 भा०द०वि०	-	-	-
03	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1073/23, दिनांक-02.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा०द०वि०	-	ट्रैक्टर-13	-
04	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1076/23, दिनांक-04.11.2023, धारा-379/411/414 भा०द०वि०	03	10 चक्का ट्रक-02 ट्रैक्टर-13 लोडर-01	72,000/- रू० नगद

4X

05	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1087/23, दिनांक-06.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-02	-
06	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1088/23, दिनांक-07.11.2023, धारा-379/411 भा0द0वि0	-	ट्रक-01 ट्रैक्टर-03	-
07	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1109/23, दिनांक-09.11.2023, धारा-379/411 भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-01	-
08	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1117/23, दिनांक-13.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-01	-
09	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1125/23, दिनांक-14.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-01	-
10	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1144/23, दिनांक-21.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-01	-
11	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1181/23, दिनांक-23.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-03	-
12	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1153/23, दिनांक-23.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-04	-
13	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1159/23, दिनांक-23.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	नाव-01	-
14	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1160/23, दिनांक-23.11.2023, धारा-379/411 भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-01	-
15	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1162/23, दिनांक-26.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-01	-
16	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1174/23, दिनांक-29.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-07	-
17	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1174/23, दिनांक-29.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-06	-
18	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1177/23, दिनांक-29.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	नाव-05	-
19	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1177/23, दिनांक-29.11.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	नाव-04	-
20	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1187/23, दिनांक-02.12.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-02	-
21	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1188/23, दिनांक-02.12.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-03	-
22	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1199/23, दिनांक-05.12.2023, धारा-379/411/186/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रक-01	-
23	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1200/23, दिनांक-05.12.2023, धारा-379/411/186/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रक-01	-
24	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1207/23, दिनांक-08.12.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-01	-
25	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1212/23, दिनांक-09.12.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	नाव-01	-
26	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1225/23, दिनांक-11.12.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-01	-
27	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1249/23, दिनांक-16.12.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रक-01	-
28	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1260/23, दिनांक-19.12.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रैक्टर-01	-



85

29	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1267/23, दिनांक-20.12.2023, धारा-379/411 भा0द0वि0	01	10 चक्का ट्रक-01	18,000/- रु0 नगद
30	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.2023, धारा-379/411/353/201/120(बी) भा0द0वि0	20	नाव-40	-
31	बिहटा थाना काण्ड संख्या-1274/23, दिनांक-23.12.2023, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	02	ट्रैक्टर-03	-
32	बिहटा थाना काण्ड संख्या-34/24, दिनांक-09.01.2024, धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0	01	ट्रैक्टर-01	-
33	बिहटा थाना काण्ड संख्या-67/24, दिनांक-17.01.2024, धारा-379/411/420/120(बी) भा0द0वि0	-	ट्रक-11	-

साथ ही जिलान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु Integrated स्थायी चेक पोस्ट के अधिष्ठापन हेतु स्थल यथा पालीगंज अंचलान्तर्गत मौजा-महाबलीपुर, बिक्रम अंचलान्तर्गत मौजा-कनपा तथा बिहटा अंचलान्तर्गत मौजा-परेव में भूमि चिन्हित कर लिया गया है एवं अवैध खनन संभावित क्षेत्र में पुलिस पीकेट (चेक-पोस्ट) बनाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने हेतु दिए गए निदेश के आलोक में नगर पुलिस अधीक्षक के पत्रांक-1307/गो0, दिनांक-03.08.2023 के द्वारा समर्पित अवैध बालू खनन, परिवहन के रोकथाम के लिए पुलिस पीकेट की स्थापना हेतु प्रस्ताव के आलोक में अंचलाधिकारी मनेर द्वारा मौजा-सुअरमरवा चौरासी तथा रामपुर दियारा एवं अंचलाधिकारी बिहटा द्वारा मौजा-अमनाबाद में स्थल चिन्हित कर इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिससे संबंधित प्रतिवेदन कार्यालय पत्रांक-284/एम0, पटना, दिनांक-27.01.2024 द्वारा निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है तथा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वसभाजन
31/01/2024
खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।

पत्रांक...1156.../गो0

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पटना ।

प्रेषक,

पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह
वरीय पुलिस अधीक्षक,
पटना ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना ।

प्रसंग :-

पटना, दिनांक :- 30/01/2024

विषय :-

भवदीय कार्यालय का पत्रांक-265/खनन, दिनांक-25.01.2024
दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक "बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के
ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, 40 बड़े नाव जप्त" मामले में स्वतः संज्ञान पर सुनवाई के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषयक पत्र के संदर्भ में थानाध्यक्ष, बिहटा थाना का डी0आर0 सं0-520/24,
दिनांक-29.01.2024 एवं थानाध्यक्ष, मनेर थाना का ज्ञापांक-506/24, दिनांक-29.01.2024 के माध्यम से प्रतिवेदन
अनुलग्नक सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रति साथ संलग्न कर भवदीय अवलोकनार्थ
भेजी जा रही है।
अनुलग्नक :-यथोपरि ।

विश्वासभाजन

30/01

पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह

वरीय पुलिस अधीक्षक,

पटना ।

सं. नं.

राष्ट्रीय पुलिस अधीक्षक महोदय,
पटना।

भवदीय के कार्यालय ज्ञापाक-1003/गो0, दिनांक-27.01.24

दिनांक-22.12.23 के प्रकाशित समाचार का शीर्षक बालू खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, 40 बड़े नाव जप्त क राकब में रिपोर्ट प्रतियोगना।



उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि बिहार पुलिस मुख्यालय (विधि-व्यवस्था प्रभाग) पटना के पत्र सं०-बल/01-बल-2015(Vol-iii/424 दिनांक-01.11.2013 तदोपरान्त भवदीय के आदेश ज्ञापाक-10548/गो0 दिनांक-02.11.2023 के द्वारा अवैध बालू उत्खनन की रोकथाम एवं संलिप्त अपराधियों/आरोपितों के विरुद्ध आसूचना संकलन कर कारगर प्रभावकारी छापामारी हेतु अनुमंडल पुलिस पटना पदाधिकारी दानापुर को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए बिहार सशस्त्र बल-1 पटना के साथ पु०नि० मनोज कुमार, पु०नि० रौशन कुमार, पु०नि० राजीव कुमार, पु०नि० धीरेन्द्र कुमार, पु०नि० मुमताज अंसारी, पु०अनि० नितीश कुमार, पु०अनि० राहुल कुमार, पु०अनि० प्रवीण कुमार, पु०अनि० संभव कुमार, स०अनि० हेमन्त कुमार, स०अनि० संतोष कुमार सिंह, स०अनि० मो० आजाद खॉं, स०अनि० अभय किशोर पाण्डेय, स०अनि० राम सुदृष्ट कुमार, स०अनि० धर्मन्द्र सिंह को रोस्टर में प्रतिनियुक्त किया गया था। दिनांक-22.12.23 को सूचना मिली कि अमनाबाद, पथलौटिया सोन नदी के बकास दिचरा क्षेत्र में कुछ लोगो नाव के माध्यम से अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। जिसकी सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवैध बालू खनन एवं परिवहन में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ छापामारी कर कुल 40 बड़ी नाव सहित अवैध बालू खनन में संलिप्त 20 लोगो को गिरफ्तार करते हुए 40 बड़ी नावों को जप्त किया गया। जिसके संबंध में बिहटा थाना कांड सं०-1272/23, दिनांक-22.12.23, धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा०द०वि० के अन्तर्गत 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा० जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुटारी मंडल सा० बिनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व० पुलिस मंडल सा० खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा० नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा० राहिमपुर थाना मढौरा जिला छपरा, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जर्नादन मंडल, सा० गंगापुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा० सोभनपुर दिचरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व० जामुन सहनी, सा० चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा० सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व० हजारी राय सा० हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा० बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता टिमल राय, सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा० जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व० मेवालाल राय सा० पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा० सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 18. दुनदुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा० माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा० पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व० विशेष्वर पासवान सा० रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली एवं जप्त 40 नावों के मालिक तथा अज्ञात 40-50 लोग के विरुद्ध दर्ज किया है। गिरफ्तार सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं जप्त नावों के अधिहरण हेतु बिहटा थाना ज्ञापाक-256/24, दिनांक-16.01.24 के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी महोदय पटना को प्रतिवेदन भेजा गया है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।

अतः श्रीमान् को सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नक-1. प्राथमिकी एवं जप्ती सूची की सच्ची प्रति।

2. अधिहरण प्रस्ताव की सच्ची प्रति।

Dr. M. B. Singh
29/01/24
2024

विश्वरामाजन
29/01/24
2024

सेवा में

जिला पदाधिकारी महोदय,
पटना।

द्वारा :- उचित माध्यम

प्रसंग:- बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.23, धारा-379/411/353/120(बी)/201
भा0द0वि0


विषय:- कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव विहित प्रपत्र में अग्रतर कार्रवाई एवं भवदीय के अवलोकनार्थ संलग्न भेजी जा रही है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नक-यथोपरि,




विश्वासभाजन

मुनेश कुमार मठ

16.01.24

पार 379/23
बिहटा थाना, पटना।

अ. प्र. 1601-23
जिला पदाधिकारी
पटना



जपत नाव का अधिहरण प्रस्ताव ।

- 1 अज्ञात/हाना/उपहार : नाम - पुष्प कुमार वर्मा
पता - मुसाफिराबाद थाना
- 2 बिस्वा थाना जंर संख्या : बिस्वा थाना जंर संख्या - 1272/23, क्रमांक- 21/12/23
पुस्तक - 370/411/200/120(वी)/201 आ03660
- 3 छापामारी की तिथि - 21.12.23
- 4 छापामारी स्थल - सा0 अमनाबाद पश्चिमीदिशा रोज नदी दियरा बजार क्षेत्र थाना-बिहारा जिला-पटना,

5 छापामारी में जपत सामग्री का विवरण :-

क्रम	जपत सामान	विवरण	पारिष्का का नाम एवं पता
01	50 बड़ी नाव	50 बड़ी नाव में से 20 नाव जमीन अवस्था पाया गया जिसमें पतवार और इंजन लगा हुआ है। जिसपर पर सोन नदी का बालु लदा हुआ है।	पारिष्का का नाम एवं पता नाम पता पर्याप्त नहीं हुआ। नाव पर कोई रजि० - डंकित नहीं है। जिसके नाम पता का जल्द ही हो सका।

6 गिरफ्तारी का विवरण :-

क्रम	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं उम्र	पता
1	सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष	पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली
2	संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष	पिता फुटारी मंडल सा0 विनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर
3	कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर
4	विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर
5	निरज कुमार उम्र 30 वर्ष	पिता दशरथ महतो सा0 राहिमपुर थाना मढ़ौरा जिला छपरा
6	राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष	पिता श्री जर्नादन मंडल, सा0 गंगापुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा,
7	संजय कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता रामवतार दास सा0 सोभनपुर दियरा थाना साहेवगंज जिला साहेवगंज (झारखण्ड)
8	हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष	पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण,
9	उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण
10	संजीत राय उम्र 25 वर्ष	पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदूपुर जिला वैशाली
11	कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष	पिता स्व0 हजारी राय सा0 हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना
12	सत्य नारायण सहनी	पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर
13	पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता टिमल राय, सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
14	लालू पासवान उम्र 25 वर्ष	पिता हरवंशु पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली,
15	उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष	पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा
16	पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
17	अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष	पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
18	टुनटुन कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली,
19	सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष	पिता रामजी राय सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
20	धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष	पिता स्व0, विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाल

16/12/24



7 जप्त सामग्री के स्थान का पता : साठ अमनावाद पथलौटिया सोन नदी दियरा बकास क्षेत्र थाना-बिहटा जिला पटना,

08 अधिनियम की धारा 56, 57 एवं 58 के तहत अधिहरण किए जाने का कारण व आदेश-धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा.पं.पि.के अन्तर्गत प्राथमिकी के 20 नावजद अभियुक्तों जप्त 50 नाव मालिकों के विरुद्ध सोन नदी में रा अवैध रूप से बालू खनन कर घेराबंदी करने के आदेश आयात निर्यात परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूपेण अवैध है ।

09 प्रस्तावक पदाधिकारी का मंतव्य-

दिनांक-21.12.23 को थानाध्यक्ष महोदय द्वारा बिहटा थाना अन्तर्गत पुलिस पदाधिकारी एवं उपसेंट्रल छापामारी दूल के सहयोग से पथलौटिया अमनावाद सोन नदी दियरा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बा खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों की घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम सोन नदी के मुख्य धारा-में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कु 50 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों व पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 50 बड़ी नावों पर बालू लदा जो सोन नदी में जप्त किया गया है। जप्त नाव को थाना पर नहीं लाया जा सकता है। उसकी सुरक्षा 20 सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त किया गया है। नदी में पानी बढ़ जाने से जप्त नाव डुब भी सकता है कु नाव नदी में डुबा हुआ भी है। ऐसे में अधिहरण, नीलामी कर देना ही आवश्यक प्रतित होता है ।

अतः जप्त नावों का अधिहरण प्रस्ताव का आदेश देने की कृपा की जाय ।



16-01-24 कुमार अरुनी

प्रस्तावक पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(नाम व पदनाम)

10 वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला खनन पदाधिकारी की अनुरांसा :-

वरीय पुलिस अधीक्षक/ जिला खनन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :- 16-01-24

अनुलग्नक :-

1. प्राथमिकी की प्रति ।
2. जप्ती सूची।


16/01/24



वर्चस्व एवं पुलिस की कार्रवाई में व्यवधान एवं साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए सोन नदी के मुख्य धारा में लगे नावों में आग लगा दिये, ताकि सोन नदी के मुख्य धारा का रास्ता अवरुद्ध हो जाय। काप मशककत एवं प्रयास के बाद बालू माफिया के द्वारा नाव में लगाये गये आग पर स्थानीय लोगो एवं पुलिस बल के सहयोग से आग पर काबु पाया गया एवं सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त पकड़ाये लोहे की बनी कुल 40 बड़ी नावो जिस पर सोन नदी से अवैध बालू खनन कर लोड किया गया है, को चेक किया गया तो तो कुदाल एवं बाल्टी पाया गया। तत्पश्चात् दो सिपाही-4916, राजेश कुमार एवं सिपाही-1382, राज कुमार पासवान के समक्ष 40 नावो एवं उस पर रखे कुल-25 कुदाल तथा 20 बाल्टी को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। जप्ती सूची पर दोनो साक्षियो ने स्वेच्छा से अपना अपना हरस्ताक्षर बना दिये। जप्त सभी 40 बड़ी नावो में से करीब 10 नावो जली हुई अवस्था में है। जप्त किये गये नावो को लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया लेकिन पथलौटिय अमनाबाद के बकास एरिया में फंस जाने के कारण वह से नहीं लाया जा सका, तब नावो को घटनास्थल के पास ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। पकड़ाये गये सभी लोगो से जप्त किये गये नाव के मालिक का नाम पता पुछकर कागजात का मांग किया गया तो बताया गया कि इनलोगो को नाव मालिको का नाम पता की जानकारी नहीं है, लेकिन नाव मालिको के कहने पर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये संशाधानो के द्वारा सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर रहे थे। पकड़ाये सभी 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर ले जा रहे गिरफ्तार 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, मो0-9162561070, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुडारी मंडल सा0 बिनीवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, मो0नं0-7783878506, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, मो0-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिराचक थाना जीरोगाईल, भागलपुर, मो0नं0-8102372926, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा0 राहिंगपुर थाना गडौरा जिला छपरा, मो0नं0-8084673411, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जर्नादन मंडल, सा0 गंगाप्पुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा0 सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), मो0-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 हजारी राय सा0 हल्दी छपरा बंदर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, मो0-7205837161, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता टिमल राय, सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 18. दुनदुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 19. सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष पिता रामजी राय सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व0 विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली एवं जप्त 40 नावो के मालिक तथा अज्ञात 40-50 लोग के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-जप्ती सूची की मूल प्रति।



विश्वासभाजन

राजेश कुमार

22/12/02

पुलिस जे.ओ.ओ.

विशेष प्रशासन पत्रिका

जप्ती सूची

1. प्रमाण :- ~~विद्युत ग्राहक कार्ड नंबर 1272/73~~ ~~विद्युत ग्राहक कार्ड नंबर 377/411/3~~
125 (07) 201 - ग्राहक कार्ड नंबर
2. तिथि व समय - 21/12/2023 सांध्य - 9:13 बजे से 28:50 तक
3. स्थान जहाँ से जप्त किया गया है - पंचलोरिया अमानाबाद सोन नदी किनारे
बकाल क्षेत्र

गवाहों के नाम एवं पता जिसके सामने जप्ती की गई है :-

सि० / 4916 राजेश कुमार (ii) सि० / 13
 राज. कुमार पासवान छोना - बि० 21
 ग्रामा रिजर्व गार्ड सिपाही ग्रामा - बि० 21
 जिला - 421

5. बरामद जप्त सामानों का विवरण :-

कुल 40 बड़ी नाव जो लोहे की
 बनी है जिन पर सोन नदी का बालू
 लदा हुआ जिसमें 10 नाव जली हुई
 अवस्था में ।

(i) 25 कुदाल एवं (ii) 20 बाली

गवाहों के हस्ताक्षर :-

(1) सि० राजेश कुमार
 4916

(2) सि० राज कुमार पासवान
 1382


7. पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

राजेश कुमार

21/12/2023

पंचलोरिया अमानाबाद

बि० 21 पासवान 421



मध्य
 जिला
 सि० / 4916
 राजेश कुमार
 सि० / 13
 राज. कुमार पासवान
 सि० / 1382
 राज कुमार पासवान
 21/12/2023
 पंचलोरिया अमानाबाद
 बि० 21 पासवान 421

24

~~8) ...~~

9)  विश्वनाथ (सहज)

10) ~~...~~
संजीव राय


11)  कामेश्वर राय

12) सत्यनारायण सहज

13)  पंकज कुमार

14)  मालु पाखवान

15)  अपेन्द्र राय

16)  पंकज कुमार

17)  अदीबुद्दौल राय

18) सुनलुन कुमार

19)  सत्यनारायण कुमार

बयान सूची

- 1. बरामद :- विहवा शाना जगत - 12/12/21 दिनांक 12-12-21
- 2. तिथि व समय :- 22/12/21 सुबह
- 3. स्थान जहाँ से जप्त किया गया है :- स. तलमोरिया अंगनावाड शौचालय (1) विहवा बकाए क्षेत्र विहवा शाना

4. गवाहों के नाम एवं पता जिसके सधुमने जप्ती की गई है :-
 (i) खि/4916 राजेश कुमार (ii) खि - 1382
 राज कुमार पादवान शौचालय विहवा
 शाना विहवा जगत विहवा शाना -
 विहवा जिला - परना

5. बरामद जप्त सामानों का विवरण :-
 10 बड़ी नाव जो लोहे की बनी है
 जिल पर शोन नदी का बालु लदा
 हुआ है। जो ऊँची धरान हुआ
 डकलवा में है। विहवा जगत -
 (i) लोहा जगत - 71 बिल्ली नौका - 21 बिल्ली जिल्ला
 शोन नदी का पीला बालु लदा हुआ
 जप्त किया गया है।

6. गवाहों का हस्ताक्षर :-
 (1) खि 4916 राजेश कुमार
 (2) खि 1382 राज कुमार पादवान

पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-
 मुनेश कुमार गरी
 पति 098301010
 22/12/21
 विहवा शाना



स. तलमोरिया अंगनावाड शौचालय (1) विहवा बकाए क्षेत्र विहवा शाना

- ① प्रस्ताव :- विद्या भाना काण्ड (सं - 1272/23 दि - 21.12.23 संख्या - 379/411/353/120(B)/201 आदिदि
- ② तिथि व समय :- 22.12.23 समय;
- ③ स्थान जहाँ से जल किया गया है :- पथलौटिया अमना बाई सौन नदी किफरा वकाह से भाना - विद्या
- ④ गवाही के नाम व पता :- (i) लि - 4316 राजेश कुमार (ii) लि - 1382 राजकुमार पलवान दोनों विद्या भाना रिजर्न गाँव डिणही थाना - विद्या जिला - पटना
- ⑤ वरामद जल समानो का विवरण :- कुल - 50 नाव जो लेंहे की वनी है जिस पर सौन नदी का बालु लेंपा हुआ जिसमें 20 नाव जली हुई अवस्था में

- ① नाव लं - 7.5 फीट चौं - 2.1 फीट जिसपर जम सौनमद बाका किया हुआ - इंजन डूबा हुआ
- ② नाव लं - 7.5 फीट चौं - 2.1 फीट चौं - 20 फीट
- ③ नाव लं - 7.5 फीट चौं - 2.1 फीट इंजन डूबा हुआ
- ④ लकड़ी का ढोरा नाव जो डूबा हुआ है।
- ⑤ नाव लं - 7.0 फीट चौं - 2.0 फीट आधा जल हुआ
- ⑥ नाव लं - 7.5 फीट चौं - 2.1 फीट इंजन डूबा हुआ
- ⑦ नाव डूबा हुआ एवं जल हुआ
- ⑧ नाव लं - 7.5 फीट चौं - 2.1 फीट आधा जल हुआ
- ⑨ नाव डूबा हुआ एवं जल हुआ
- ⑩ नाव लं - 7.1 फीट चौं - 2.0 फीट आधा जल हुआ
- ⑪ नाव लं - 7.0 फीट चौं - 2.0 फीट आधा जल हुआ
- ⑫ नाव लं - 6.9 फीट चौं - 1.9 फीट जल हुआ
- ⑬ नाव लं - 7.1 फीट चौं - 2.0 फीट आधा जल हुआ
- ⑭ डूबा हुआ एवं जल हुआ
- ⑮ नाव लं - 7.0 फीट चौं - 2.0 फीट आधा जल हुआ
- ⑯ नाव लं - 6.9 फीट चौं - 1.9 फीट आधा जल हुआ
- ⑰ नाव लं - 7.1 फीट चौं - 2.0 फीट आधा जल हुआ
- ⑱ नाव लं - 7.0 फीट चौं - 2.0 फीट आधा जल हुआ

9X

- (20) नाव दुवा दुआ रंगना
- (21) नाव लो - 71 फीट लॉन्ग - 21 फीट जल्ला दुआ अलदना
- (22) नाव लो - 67 " लॉन्ग - 17 " इजान दुवा दुआ
- (23) नाव लो - 68 " लॉन्ग - 19 " इजान दुवा दुआ
- (24) नाव लो - 75 लॉन्ग - 21 " इजान दुवा दुआ
- (25) नाव उगाया दुवा दुआ
- (26) नाव लो - 71 " लॉन्ग - 20 फीट इजान लो - 4E74A43
- (27) नाव अलदना एव उगाया जल्ला दुआ
- (28) नाव लो - 71 " लॉन्ग - 20 इजान लो - U024867 जयभा आदना
- (29) नाव उगाया दुवा दुआ जय गंगना मरुथ
- (30) नाव जल्ला दुआ इजान दुवा (31) लो - 71 लॉन्ग - 20 जल्ला दुआ
- (32) नाव लो - 71 लॉन्ग - 20 इजान दुवा दुआ
- (33) नाव दुवा दुआ (34) दुवा दुआ (35) दुवा एव जल्ला दुआ
- (36) नाव दुवा एव जल्ला दुआ (37) दुवा दुआ गंगना मरुथ
- (38) दुवा दुआ (39) दुवा दुआ दानी एमएजेठ (40) दुवा एव जल्ला दुआ
- (41) जल्ला दुआ (42) जल्ला दुआ केल गंगना मरुथ की
- (43) दुवा दुआ (44) लो - 72 लॉन्ग - 20 " इजान दुवा दुआ
- (45) दुवा दुआ (46) दुवा दुआ (47) दुवा दुआ जय गंगना मरुथ
- (48) लो - 75 फीट लॉन्ग - 22 फीट इजान लो - 0023887
- (49) दुवा दुआ (50) दुवा दुआ जय गंगना मरुथ

6. गवाही का दस्तावेज: ① सि० 4816 राजेश कुमार

② श्री राज कुमार पाण्डेय
1382

⑦ पुनर्विचार पदाधिकारी का दस्तावेज -

मुनेश कुमार भारती
21.12.23
पति ० पुत्र ० च नि
विदेरी भागा परना

कैद - जल्ला रिथा अमनाकरद सोन गवा
विजय नारायण मेरा विदेरी

आपांक- 506 / 24

दिनांक- 29/01/2024

सेवा में,



पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह

वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय

पटना।

वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पटना के कार्यालय आपांक-
1083/गो0 दिनांक-27.01.2024।

विषय:- दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक बालू
खनन सोन नदी पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार,
एवं 40 बड़े नाव जप्त मामलों के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि
दिनांक-22.12.2023 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक बालू खनन सोन नदी
पर बिहार पुलिस के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार, एवं 40 बड़े नाव जप्त हुए
हैं। मनेर थाना, पटना के द्वारा दिनांक-22.12.2023 को सोन नदी में कोई
गिरफ्तारी एवं कोई नाव नहीं जप्त किया गया है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

29/1/24
पु0नि0-सह-थानाध्यक्ष

मनेर थाना, पटना
पु0 नि0 सह थानाध्यक्ष
मनेर, थाना-पटना



जिला खनन कार्यालय, पटना

Email Id:- admpatna1111@gmail.com
(कमरा सं-13, 14 एवं 15, ट्राजिट इस्टल, वीरचंद पटेल पथ, पटना-1)



पत्रांक:- 444 / एम.,

पटना, दिनांक:- 12.2.24

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी
पटना।

विषय:- पटना जिलान्तर्गत बिहटा थाना काण्ड संख्या- 1272/23, दिनांक- 22.12.2024 में जप्त नाव को अधिहरण हेतु नाव एवं नाव स्वामी की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी का कार्यालय, पटना का पत्रांक- 510/ अप0शा0 दिनांक- 31.01.2024, बिहटा थाना का ज्ञापांक- 256/24, दिनांक- 16.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पटना जिलान्तर्गत दर्ज बिहटा थाना काण्ड संख्या- 1272/2023 दिनांक- 22.12.2023 में उल्लेखित है कि सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त जप्त लोहे की बनी कुल 40 बड़ो नावों जिसपर सोन नदी से अवैध बालू खनन लोड किया जा रहा था को जप्त किया गया था, जिसमें से 10 नावें जली हुई अवस्था में हैं, जिसपर सोन नदी का बालू लदा हुआ पाया गया।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बिहटा थाना काण्ड संख्या-1272/2023 में जप्त नाव मालिकों द्वारा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम 56(4) एवं (7) के तहत 30 दिनों के अन्दर शमन शुल्क एवं खनिज शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर समाहर्ता द्वारा अधिग्रहित करते हुए नीलामी किया जाना प्रावधानित है। ज्ञातव्य हो कि नाव पर कोई रजि0 न0 अंकित नहीं है जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई रजि0 संख्या उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उक्त के आलोक में इन सभी नावों का भवदीय कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत् M.V.I./E.S.I. से स्थलीय निरीक्षण कराकर नाव एवं नाव मालिकों से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, ताकि विषयांकित काण्ड में जप्त नावों को अधिहरण की प्रक्रिया की जा सके। विषयांकित काण्ड में जप्त नावों के संबंध में अन्य जानकारी के लिए प्रीतम कुमार, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना के दुरभाष संख्या- 6206089961 पर समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

अतः बिहटा थाना एवं नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी का कार्यालय, पटना के द्वारा 40 नावों के अधिहरण हेतु अग्रसारित पत्र को साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित काण्ड में जप्त नावों एवं नाव स्वामियों की विवरणी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि राज्यसात हेतु प्रस्ताव समाहर्ता महोदय को भेजा जा सके।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।
12/2/2024

ज्ञापांक- 444 / एम., पटना, दिनांक- 12.2.24

प्रतिलिपि- श्री प्रीतम कुमार, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि- समाहर्ता, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।
12/2/24

पत्रांक...510...../अप0शा0
नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, का कार्यालय,
पटना।

प्रेषक,

नगर पुलिस अधीक्षक, (पश्चिमी),
पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

जिला विधि शाखा*

जिला 20 नव 2023

दिनांक-31.1.24



बिहटा थाना कांड सं0-1272/2023 दिनांक-22.12.2023 धारा-379/411/353
/120(बी)/201 भा0द0वि0।

कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव के संबंध में।

—00—

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि बिहटा थाना कांड सं0-1272/2023 दिनांक-22.12.2023 धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा0द0वि0 में जप्त नाव का अधिहरण करने हेतु थाना बिहटा एवं सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रसारित विहित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है जिसे मूल में संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः जप्त नाव का अधिहरण करने हेतु अनुमति प्रदान करने कि कृपा किया जाए।

अनुलग्नक:-यथोपरि।

विश्वासभाजन

नगर पुलिस अधीक्षक, (पश्चिमी)
पटना।

प्रतिलिपि:-

1. सहायक पुलिस अधीक्षक, दानापुर पटना को सूचनार्थ।
2. थानाध्यक्ष/अनुसंधानकर्ता बिहटा थाना पटना को सूचनार्थ।

33
8/2/24

6093
वा/प/24

पु/8/ले/0
10/8/2/2024

ज्ञापांक 256 / 2024

बिहटा थाना, दिनांक 16.01.24/2024 565

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,
पटना।



उचित माध्यम

बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.23, धारा-379/411/353/120(बी)/201
भा0द0वि0

बिषय:-


कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव विहित प्रपत्र में अग्रतर कार्रवाई एवं भवदीय के अवलोकनार्थ संलग्नव भेजी जा रही है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ ।

अनुलग्नक-यथोपरि,



विश्वासभाजन
मुनेश कुमार का
16.01.24
पार 379/130
बिहटा थाना, पटना।

20/1/24

FORWARDED

S.D.P.O., Danapur

R-258/CR
25/1/24

3

ज्ञापांक...256.../2024

1X

बिहटा थाना,दिनांक...16.01.24/2024 566

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,
पटना।



सूचित माध्यम

बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-22.12.23, धारा-379/411/353/120(बी)/201
भा0द0वि0

बिषय:-


कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि कांड में जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव विहित प्रपत्र में अग्रतर कार्रवाई एवं भवदीय के अवलोकनार्थ संलग्नकर भेजी जा रही है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ ।

अनुलग्नक-यथोपरि,



विश्वासभाजन

मुगेश कुमार भार्गव

16.01.24

पारि 379/353/120
बिहटा थाना, पटना।

FORWARDED

S.D.P.O., Danapur

R-258/CR
25/1/24

जप्त नाव का अधिहरण प्रस्ताव ।

- 1 प्रस्तावक(थाना/उत्पाद) :- नाम:- मुनेश कुमार भारती
पदनाम- पु0अ0नि0बिहटा थाना
- 2 बिहटा थाना कांड संख्या :- बिहटा थाना कांड संख्या-1272/23, दिनांक-21.12.23.
धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा0द0वि0
- 3 छापामारी की तिथि :- 21.12.23
- 4 छापामारी स्थल:- सा0 अमनाबाद पथलौटिया सोन नदी दियरा बकास क्षेत्र थाना-बिहटा जिला-पटना,
- 5 छापामारी में जप्त सामाग्री का विवरण :-

क्रम	जप्त सामान	विवरण	मालिका का नाम एवं पता
01	50 बड़ी नाव	50 बड़ी नाव में से 20 नाव जली अवस्था पाया गया जिसमे पतवार और इंजन लगा हुआ है। जिसपर पर सोन नदी का बालु लदा हुआ है।	नाम पता सत्यापन नहीं हुआ। नाव पर कोई राजि० न० उत्कृति नहीं है। जिले नाम पता का सत्यापन नहीं हो सका।

6 गिरफ्तारी का विवरण :-

क्रम	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं उम्र	पता
1	सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष	पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली
2	संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष	पिता फुटारी मंडल सा0 बिनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर
3	कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर
4	विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर
5	निरज कुमार उम्र 30 वर्ष	पिता दशरथ महतो सा0 राहिमपुर थाना मढ़ौरा जिला छपरा
6	राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष	पिता श्री जर्नादन मंडल, सा0 गंगापुर पोलवारा टोला, थाना किशनपुर रतवारा, जिला मधेपुरा,
7	संजय कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता रामवतार दास सा0 सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड)
8	हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष	पिता स्व0 जामुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण,
9	उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष	पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण
10	संजीत राय उम्र 25 वर्ष	पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदूपुर जिला वैशाली
11	कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष	पिता स्व0 हजारी राय सा0 हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना
12	सत्य नारायण सहनी	पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर
13	पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता टिमल राय, सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
14	लालु पासवान उम्र 25 वर्ष	पिता हरवंशु पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली,
15	उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष	पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा
16	पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष	पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
17	अरविन्द राय उम्र 35 वर्ष	पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा
18	टुनटुन कुमार उम्र 22 वर्ष	पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदूपुर जिला वैशाली,
19	सत्येन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष	पिता रानजी राय सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा
20	धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष	पिता स्व0 विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाल

16/10/24

7 जप्त सामाग्री के स्थल का पता :-सा0 अमनाबाद पथलौटिया सोन नदी दियरा बकास क्षेत्र
थाना-बिहटा जिला-पटना,

08अधिनियम की धारा :- 56, 57 एवं 58 के तहत अधिहरित किए जाने का कारण व आधार
:-धारा-379/411/353/120(बी)/201 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी के 20 नामजद अभियुक्तों एवं
जप्त 50 नाव मालिकों के विरुद्ध सोन नदी में से अवैध रूप से बालू खनन कर चोरी करने के आरोप
आयात निर्यात परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूपेण अवैध है ।

09 प्रस्तावक पदाधिकारी का मंतव्य-

दिनांक-21.12.23 को थानाध्यक्ष महोदय द्वारा बिहटा थाना अन्तर्गत पुलिस पदाधिकारी एवं उपरोक्त
छापामारी दल के सहयोग से पथलौटिया अमनाबाद सोन नदी दियरा इलाके के बकास क्षेत्र में अवैध बालू
खनन कर बड़ी नावों पर बालू लोड कर परिवहन कर रहे लोगों की घेराबंदी करने हेतु बोट के माध्यम से
सोन नदी के मुख्य धारा में प्रवेश कर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सशस्त्र बल के सहयोग से कुल
50 बड़ी नावों पर अवैध रूप से सोन नदी का बालू खनन कर लोड कर परिवहन कर रहे 20 लोगों को
पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 50 बड़ी नावों पर बालू लदा है
जो सोन नदी में जप्त किया गया है। जप्त नाव को थाना पर नहीं लाया जा सकता है। उसकी सुरक्षा में
20 सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त किया गया है। नदी में पानी बढ़ जाने से जप्त नाव डुब भी सकता है कुछ
नाव नदी में डुबा हुआ भी है। ऐसे में अधिहरण, नीलामी कर देना ही आवश्यक प्रतीत होता है ।

अतः जप्त नावों का अधिहरण प्रस्ताव का आदेश देने की कृपा की जाय।



मनेश कुमार भारती

16-01-24

प्रस्तावक पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(नाम व पदनाम)

10 वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला खनन पदाधिकारी की अनुशंसा :-

वरीय पुलिस अधीक्षक/ जिला खनन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

तिथि :- 16.01.24

अनुलग्नक :-

1. प्राथमिकी की प्रति ।
2. जप्ती सूची।

मनेश कुमार भारती
16/01/24
प्रस्तावक पदाधिकारी का हस्ताक्षर

बर्चस्व एवं पुलिस की कार्रवाई में व्यवधान एवं साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए सोन नदी के मुख्य धारा में लगे नावों में आग लगा दिये, ताकि सोन नदी के मुख्य धारा का रास्ता अवरुद्ध हो जाय। काफी मशक्कत एवं प्रयास के बाद बालू माफिया के द्वारा नाव में लगाये गये आग पर स्थानीय लोगो एवं पुलिस बल के सहयोग से आग पर काबु पाया गया एवं सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त पकड़ाये लोहे की बनी कुल 40 बड़ी नावो जिस पर सोन नदी से अवैध बालू खनन कर लोड किया गया है, को चेक किया गया तो तो कुदाल एवं बाल्टी पाया गया। तत्पश्चात् दो सिपाही-4916, राजेश कुमार एवं सिपाही-1382, राज कुमार पासवान के समक्ष 40 नावो एवं उस पर रखे कुल-25 कुदाल तथा 20 बाल्टी को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। जप्ती सूची पर दोनो साक्षियो ने स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिये। जप्त सभी 40 बड़ी नावो में से करीब 10 नावो जली हुई अवस्था में है। जप्त किये गये नावो को लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया लेकिन पथलोदिय अमनाबाद के बकास सुरिया में फंस जाने के कारण वह से नहीं लाया जा सका, तब नावो को घटनास्थल के पास ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। पकड़ाये गये सभी लोगो से जप्त किये गये नावो के मालिक का नाम पता पुछकर कागजात का मार्ग किया गया तो बताया गया कि इनलोगो को नाव मालिको का नाम पता की जानकारी नहीं है, लेकिन नाव मालिको के कहने पर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सशोधानो के द्वारा सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर रहे थे। पकड़ाये सभी 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

अतः श्रीमान् से अनुसोध है कि सोन नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर नाव पर लोड कर परिवहन कर ले जा रहे गिरफ्तार 1. सुजित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता कृष्ण चन्द्र राय, सा0 जुरावरपुर करारी थाना जुरामनपुर जिला वैशाली, मो0-9162561070, 2. संजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिता फुदारी मंडल सा0 बिनौवा टोला, थाना इसमाईलपुर जिला भागलपुर, मो0नं0-7783878506, 3. कारेलाल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्व0 पुलिस मंडल सा0 खैरपुर थाना खरिक बाजार जिला भागलपुर, मो0-7061523189, 4. विपिन कुमार उम्र 32 वर्ष पिता जवाहर मंडल सा0 नयाटोला मिराचक थाना जीरोमाईल, भागलपुर, मो0नं0-8102372926, 5. निरज कुमार उम्र 30 वर्ष पिता दशरथ महतो सा0 राहिमपुर थाना मढौरा जिला छपरा, मो0नं0-8084673411, 6. राजकुमार मंडल उम्र 32 वर्ष पिता श्री जर्नादन मंडल, सा0 गंगाणपुर पोलवारा टोला, थाना किसानपुर रतवारा, जिला मधुपुरा-7635080206, 7. संजय कुमार उम्र 22 वर्ष पिता रामवतार दास सा0 सोभनपुर दियरा थाना साहेबगंज जिला साहेबगंज (झारखण्ड), मो0-9155903043, 8. हिरामन सहनी उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 जमुन सहनी, सा0 चकदरिया, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 9. उपेन्द्र कुमार उम्र 24 वर्ष पिता राजेन्द्र राय, सा0 सैदपुर, थाना सोनपुर जिला सारण, मो0-9060256085, 10. संजीत राय उम्र 25 वर्ष पिता चन्देश्वर राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली-7782093245, 11. कामेश्वर राय उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 हजारी राय सा0 हल्दी छपरा बदर टोला थाना मनेर जिला पटना, 12. सत्य नारायण सहनी पिता देवन सहनी सा0 बिरसनपुर झौरी थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, मो0-7205837161, 13. पंकज कुमार उम्र 22 वर्ष पिता हरवंशु पासवान सा0 जफराबाद टुक, थाना राघोपुर जिला वैशाली, 14. लालु पासवान उम्र 25 वर्ष पिता स्व0 मेवालाल राय सा0 पान्नापुर थाना अकिलपुर, जिला छपरा, 15. उपेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पिता दिनेश राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 16. पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष पिता बहादुर राय, सा0 सबलपुर पश्चिमी टोला थाना सोनपुर जिला छपरा, 17. अरबिन्द राय उम्र 35 वर्ष पिता विजय राय सा0 माईल थाना विदुपुर जिला वैशाली, 18. टुनटुन कुमार उम्र 22 वर्ष पिता सा0 पुरानी पानापुर थाना अकिलपुर जिला छपरा 20. धर्मेन्द्र पासवान उम्र 38 वर्ष पिता स्व0 विशेश्वर पासवान सा0 रोधीपोखर थाना लालगंज जिला वैशाली एवं जप्त 40 नावो के मालिक तथा अज्ञात 40-50 लोग के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-जप्ती सूची की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

राजेश कुमार

22/12/2023

पु.पु.ओ.ओ.

विशेष प्रमुख

1. प्रसंग :- विहवा थाना काण्ड सं. - 1272/23 दि. 21.12.23 धारा- 379/411/353/120(B)/201 भा.स.क्रि
2. तिथि व समय - 22/12/23 समय -
3. स्थान जहाँ से जप्त किया गया है :- स. प्रव. लौरिया अमना बाह खोन नदी
दियरा बकास क्षेत्र विहवा थाना

4. गवाहों के नाम एवं पता जिसके सामने जप्ती की गई है :-
(i) सि. 4916 राजेश कुमार (ii) सि. 1382
राज कुमार बालवान योन विहवा
थाना दिग्वे आर्ज लिपारी थाना -
विहवा जिला - परना

5. बरामद जप्त सामानों का विवरण :-
10 बर्से गाव जो लोटे की बनी है
जिह पर खोन नदी का बालु लदा
हुआ है। जो बर्से जला हुआ
डाकथा में है। जिराज लम्बाई -
⊕ लम्बाई - 71 फीट चौ. - 21 फीट जिले
खोन नदी का पीला बालु लदा हुआ
जप्त किया गया है।

6. गवाहों का हस्ताक्षर :- (1) सि. 4916 राजेश कुमार

(2) सि. 1382 राज कुमार बालवान

16/12/24

7. पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-
मुनेश कुमार भारती
पा.स. उ. अ. ग. र.
22/12/23
विहवा थाना

कैप - प्रव. लौरिया अमना बाह खोन नदी दियरा
बकास क्षेत्र विहवा

1. प्रसंग :- विद्युत तारा काटने के लिए 12/12/23 को 12:30 बजे 379/411/357
120 (वी) 201 - ग्राहक को सूचित

2. तिथि व समय - 22/12/2023 समय - 21:30 बजे से 23:50 तक

3. स्थान जहाँ से जप्त किया गया है :- पचलोरेिया अमनाबाद जिला
वहाल क्षेत्र

गवाहों के नाम एवं पता जिसके सामने जप्ती की गई है :- श्री 1/4916 राजेश कुमार (II) श्री 1/1352

राजेश कुमार पालवारा मोना विहार
ग्राम रिजर्व गार्ड सिपाही ग्राम - विहार
जिला - पटना

5. बरामद जप्त सामानों का विवरण :- कुल 40 बड़ी नाव जो लोहे की
बनी है जिस पर लोहे की बालू
लगा हुआ जिसमें 10 नाव जली हुई
आवस्था में ।

(I) 25 कुल्लो एवं (II) 20 बालू

6. गवाहों के हस्ताक्षर :- (1) श्री 1/4916 राजेश कुमार


(2) श्री राजेश कुमार पालवारा
1352

पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-


राजेश कुमार
22/12/2023
पंचायत समिति
विहार पंचायत समिति

कैमरा पचलोरेिया अमनाबाद जिला
विहार वहाल क्षेत्र से विद्युत


विधि 101 अमर
21/12/23
22/12/23
23/12/23
24/12/23
25/12/23
26/12/23
27/12/23
28/12/23
29/12/23
30/12/23
31/12/23


9  R
T
I विजय (सहज)


10 उपेन्द्र कुमार
संजीव राय


11  R
T
I कामेश्वर राय


12 सत्यनारायण राय

13  R
T
I पंकज कुमार


14  R
T
I लालु पांडेय

15  R
T
I उपेन्द्र राय

16  R
T
I पंकज कुमार

17  R
T
I अलीबंद राय

18 तुलजु कुमार

19  R
T
I लक्ष्मण कुमार



जिला खनन कार्यालय, पटना

Email Id:- admpatna1111@gmail.com
(कमरा सं०-13, 14 एवं 15, ट्राजिट हॉस्टल, वीरचंद पटेल पथ, पटना-1)

पत्रांक:- 718 / एम.,

पटना, दिनांक:- 2.3.24

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पटना।

विषय:- पटना जिलान्तर्गत बिहटा थाना काण्ड संख्या- 1272/23, दिनांक- 22.12.2024 में जप्त नाव को अधिहरण हेतु नाव एवं नाव स्वामी की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी का कार्यालय, पटना का पत्रांक- 510/ अप0शा0 दिनांक- 31.01.2024, बिहटा थाना का ज्ञापांक- 256/24, दिनांक- 16.01.2024 एवं कार्यालय पत्रांक-444/एम0, दिनांक-12.02.2024

नहाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पटना जिलान्तर्गत दर्ज बिहटा थाना काण्ड संख्या- 1272/2023 दिनांक- 22.12.2023 में उल्लेखित है कि सोन नदी में अवैध बालू खनन में प्रयुक्त जप्त लोहे की बनी कुल 40 बर्डी नावों जिसपर सोन नदी से अवैध बालू खनन लोड किया जा रहा था को जप्त किया गया था, जिसमें से 10 नावें जली हुई अवस्था में हैं, जिसपर सोन नदी का बालू लदा हुआ पाया गया।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बिहटा थाना काण्ड संख्या-1272/2023 में जप्त नाव मालिकों द्वारा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम 56(4) एवं (7) के तहत 30 दिनों के अन्दर शमन शुल्क एवं खनिज शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर समाहर्ता द्वारा अधिग्रहित करते हुए नीलानी किया जाना प्रावधानित है। ज्ञातव्य हो कि नाव पर कोई रजि0 न0 अंकित नहीं है जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई रजि0 संख्या उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उक्त के आलोक में इन सभी नावों का भवदीय कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत् M.V.I./E.S.I. से स्थलीय निरीक्षण कराकर नाव एवं नाव मालिकों से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, ताकि विषयांकित काण्ड में जप्त नावों को अधिहरण की प्रक्रिया की जा सके। विषयांकित काण्ड में जप्त नावों के संबंध में अन्य जानकारी के लिए प्रीतम कुमार, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना के मोबाईल नं0 - 6206089961 पर समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

अतः बिहटा थाना एवं नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी का कार्यालय, पटना के द्वारा 40 नावों के अधिहरण हेतु अग्रसारित पत्र को साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित काण्ड में जप्त नावों एवं नाव स्वामियों की विवरणी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि राज्यसात हेतु प्रस्ताव समाहर्ता महोदय को भेजा जा सके।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।
2/3/24

ज्ञापांक:- 718 / एम., पटना, दिनांक:- 2.3.24

प्रतिलिपि- श्री प्रीतम कुमार, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि- समाहर्ता, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

खनिज विकास पदाधिकारी,
पटना।
2/3/24